बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

वार्षिक प्रतिवेदन
2019-2020

67 'बुनियाद केन्द्रों' का लोकार्पण करते हुए श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री, बिहार

'मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना' के लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से भुगतान की शुरुआत करते माननीय मुख्यमंत्री, बिहार एवं माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग।

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

वार्षिक प्रतिवेदन 2019-2020

रामसेवक सिंह
मंत्री
समाज कल्याण विभाग

बिहार सरकार

-:: संदेश ::-

समाज कल्याण विभाग का वितीय वर्ष 2019-20 का वार्षिक प्रतिवेदन विधान मंडल के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आप अवगत हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सक्षम नेतृत्व एवं बहुआयामी विकासशील मार्गदर्शन में समाज कल्याण विभाग निरन्तर अपने दायित्वों के संवहन में पूर्ण तन्मयता के साथ कार्यरत है। सरकार की महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप समाज कल्याण विभाग द्वारा बच्चों, महिलाओं, वृद्धजन, किन्नर, निराश्रित, असहाय भिक्षुकों आदि के कल्याण हेतु विभिन्न निदेशालयों, आयोगों, निगम आदि के माध्यम से अनेक योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है, जिससे अभिवंचितों में नयी आशा एवं जागृति का संचार हुआ है। महिला विकास निगम के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किये जा रहे है और इस कड़ी में दहेज प्रथा के उन्मूलन एवं बाल विवाह प्रतिषेध के लिए विगत वर्षो में आरंभ किये गए राज्यव्यापी अभियान से कई सकारात्मक परिणाम सामने आए है। राज्य के वृद्धजनों, दिव्यांगों, विधवाओं आदि के लिए चलाई जा रही योजनाओं का प्रभावी परिणाम भी समाज पर परिलक्षित हो रहा है। सरकार के इन प्रयासों को सफलीभूत करने के कार्य में आपके सहयोग एवं मार्गदर्शन की अपेक्षा हैं।

ऐसी आशा है कि विभाग की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के सफल संचालन में आपका सहयोग निरन्तर होता रहेगा।

(रामसेवक सिंह)

अतुल प्रसाद
भा0प्र0से0

बिहार सरकार

अपर मुख्य सचिव
समाज कल्याण विभाग
बिहार सरकार

-:: संदेश ::-

समाज कल्याण विभाग का वितीय वर्ष 2019-20 में किये गए कार्यो की उपलब्धियों एवं वितीय वर्ष 2020-21 में किये जाने वाले कार्यो के उपबंधों के उल्लेख के साथ वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया गया है, जिसे विधान मंडल के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। इस प्रतिवेदन में विभाग के अधीन सभी निदेशालयों, आयोगों, समितियों एवं निगम द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों का समावेश किया गया है, जिससे विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यो की जानकारी के साथ-साथ योजनाओं का समुचित प्रचार-प्रसार भी किया जा सके।

समाज कल्याण विभाग द्वारा बच्चों, महिलाओं, वृद्धजनों, दिव्यांगजनों, निराश्रित, असहाय, भिक्षुकों आदि के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जो अभिवंचित वर्गो/निराश्रितों/जरूरतमंदों को समाज की मुख्यधारा में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

मैं आशा करता हूँ कि सभी हितभागियों के निरन्तर सहयोग से विभाग अपने दायित्वों के निर्वहन में सदैव सफलता की ओर अग्रसर रहेगा।

(अतुल प्रसाद)

विषय सूची

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	परिचय	1
2.	विभागीय संगठनात्मक संरचना	2
3.	मुख्य योजनायें	9
4.	बाल विकास प्रक्षेत्र की योजनायें	12
5.	महिला प्रक्षेत्र	20
6.	महिला विकास निगम	21
7.	बिहार राज्य महिला आयोग	26
8.	बाल संरक्षण प्रक्षेत्र की योजनायें	27
9.	बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग	32
10.	समाज के असहाय वर्गों/असंगठित क्षेत्र के लिए संचालित योजनायें एवं कार्यक्रम	33
11.	अन्य प्रक्षेत्र	40
12.	स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पूअर एण्ड सोशल वेलफेयर	42
13.	महत्वपूर्ण तथ्य	52

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

वार्षिक प्रतिवेदन- 2019-20

परिचय

समाज कल्याण विभाग महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगजनों, वृद्धजनों एवं समाज के अन्य अभिवंचित वर्गों के हितों तथा अधिकारों के संरक्षण, संवर्द्धन एवं प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार का महत्वपूर्ण विभाग है, जिसका मुख्य उद्देश्य इन समूहों की समेकित उन्नति एवं विकास के लिए संविधान, विभिन्न अधिनियमों, राज्यादेश एवं नियमावली के अनुसार नीतियाँ, कार्य योजनाएं एवं कार्यक्रम तैयार कर उसका कार्यान्वयन करना है। वर्ष-2007 में कल्याण विभाग से अलग होने के पश्चात यह विभाग लगातार अपने उद्देश्यों की पूर्ति की ओर अग्रसर है।

कार्य एवं दायित्व :-

बिहार कार्यपालिका (संशोधित) नियमावली-2007 के अनुसार समाज कल्याण विभाग को निम्न कार्य आवंटित है :-

1. वृद्धावस्था/सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वितरण।
2. वरीय नागरिकों के कल्याण से संबंधित सभी कार्य एवं योजनाएॅं।
3. दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित सभी अधिनियमों का प्रशासन तथा उनके कल्याणार्थ सभी योजनाओं का कार्यान्वयन।
4. सभी प्रकार के विशेष सुधारगृहों का नियंत्रण एवं प्रशासन जैसे बाल सुधार गृह, ऑब्जरवेशन होम, आफ्टर केयर होम, शेल्टर होम, विशेष गृह, शिशु गृह इत्यादि।
5. बच्चों, किशोरियों एवं महिलाओं के लिए विशेष पोषाहार येाजना।
6. महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण तथा सशक्तिकरण संबंधी सभी कार्य।
7. दहेज प्रथा का उन्मूलन।
8. उत्पीडित महिलाओं का पुनर्वास।
9. भिक्षुकों का पुनर्वास
10. महिलाओं तथा बालकों के कल्याण, विकास तथा अधिकारिता से संबंधित सभी अधिनियमों का प्रशासन।
11. दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित सभी अधिनियमों का प्रशासन तथा उनके कल्याणार्थ सभी योजनाओं का कार्यान्वयन।
12. विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।
13. दत्तक ग्रहण से संबंधित सभी अधिनियमों का प्रशासन।
14. जाति प्रथा का उन्मूलन।

15. नशामुक्ति एवं नशाग्रस्त व्यक्तियों का पुनर्वास।

16. किन्नरों का कल्याण।

विभागीय संगठनात्मक संरचना :-

वर्तमान में श्री रामसेवक सिंह, समाज कल्याण विभाग की माननीय मंत्री तथा श्री अतुल प्रसाद, भा0प्र0से0, अपर मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत है। इनकी सहायता के लिए एक विशेष सचिव, एक संयुक्त निदेशक (मु0), एक उप सचिव, एक विशेष कार्य पदाधिकारी, एक सहायक आन्तरिक वितीय सलाहकार तथा चार प्रशाखा पदाधिकारी कार्यरत है।

राज्य मुख्यालय स्तर पर विभाग की संगठनात्मक संरचना निम्न प्रकार है :-

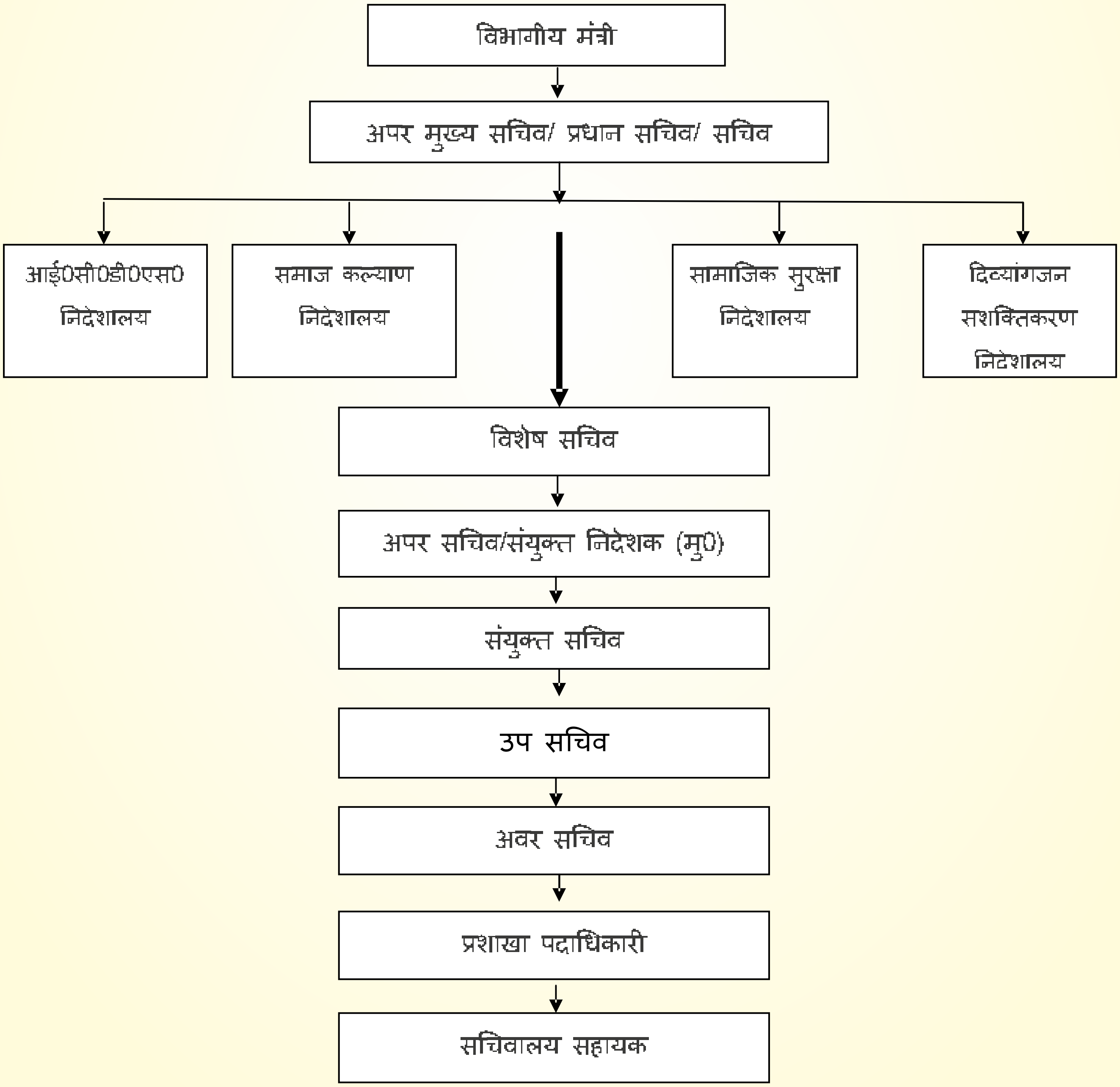

विभाग के अधीन चार निदेशालय कार्यरत है, जिनके कार्य एवं दायित्व तथा संगठनात्मक ढांचे निम्न प्रकार हैं :-

1. समेकित बाल विकास सेवाएं (ICDS) निदेशालय :- इस निदेशालय द्वारा मुख्यत: केन्द्र प्रायोजित स्कीम आई0सी0डी0एस0 छत्र योजना के अन्तर्गत ऑगनबाडी सेवाएॅ जिसके अन्तर्गत समेकित रूप से 0-6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती तथा धातृ महिलाओं व किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार, स्कूल-पूर्व शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा संदर्भ सेवाएँ सहित छः प्रकार की सेवाएँ प्रदान की जाती हैं; इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना (PMMVY); किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (SABLA); राष्ट्रीय पोषण मिशन (ISSNIP/NNM); राष्ट्रीय क्रेच स्कीम (NCS) आदि संचालित होती हैं। योजना के कार्यान्वयन हेतु नीतिगत विषयों, बजट, प्रशिक्षण संबंधी आवश्यक कार्य, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन आदि का कार्य भी होता है।

संगठनात्मक संरचना :- इसकी संगठनात्मक संरचना निम्न प्रकार है :-

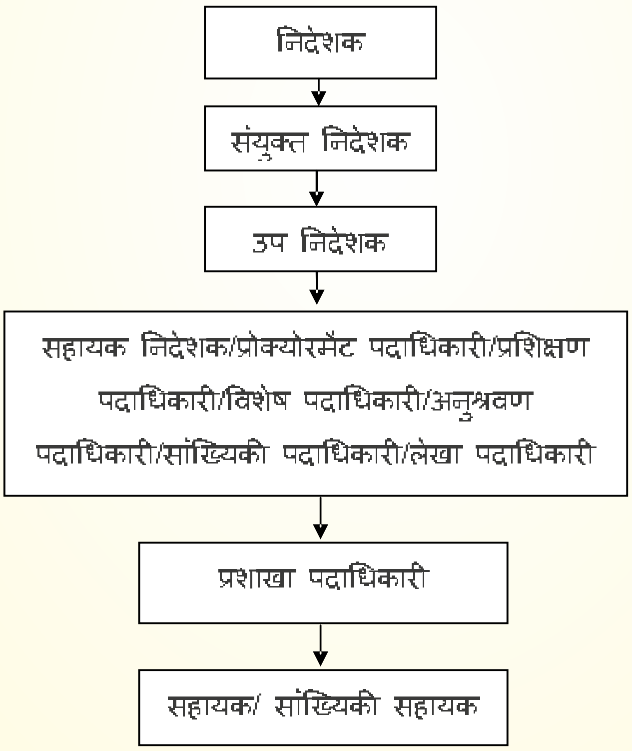

इस निदेशालय के अधीन प्रत्येक जिला में एक जिला प्रोग्राम पदाधिकारी तथा प्रत्येक परियोजना में एक बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का पद स्वीकृत है, जिनके द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण, निगरानी एवं अनुश्रवण का कार्य किया जाता है।

2. समाज कल्याण निदेशालय :- इस निदेशालय द्वारा किशोर न्याय अधिनियम, समेकित बाल संरक्षण योजना, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (SARA), महिला सशक्तिकरण नीति, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मानव व्यापार निषेध कार्यक्रम,

कार्य स्थलों पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न से सुरक्षा, किन्नर कल्याण योजनाएँ, परवरिश आदि संबंधित कार्य सम्पादित होते है।

संगठनात्मक संरचना :- इसकी संगठनात्मक संरचना निम्न प्रकार है :-

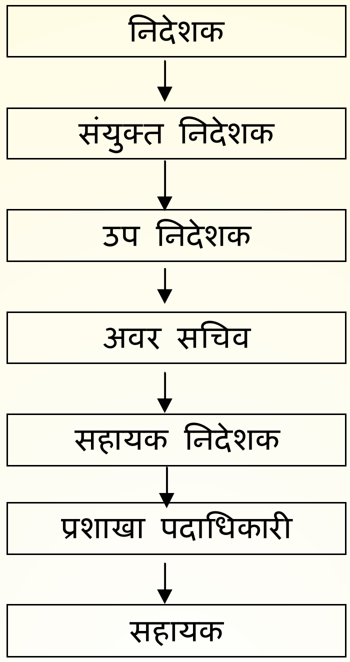

निदेशालय के अधीन एक राज्य बाल संरक्षण समिति तथा राज्य बाल संरक्षण इकाई गठित है, जिसकी संगठनात्मक संरचना निम्न प्रकार है :-

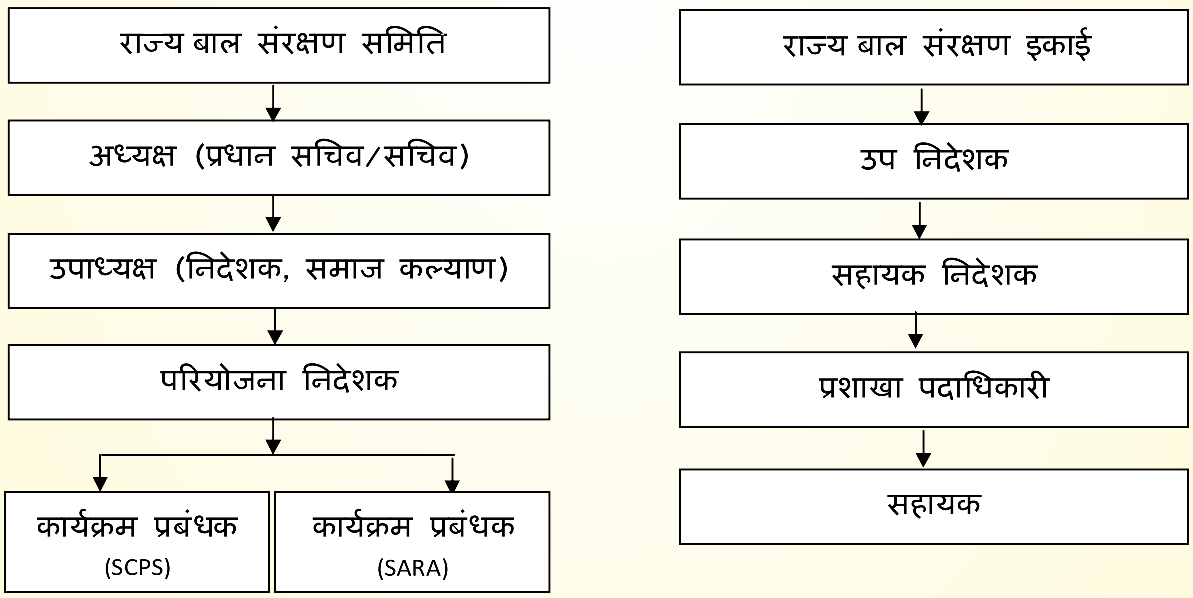

राज्य बाल संरक्षण इकाई के अधीन प्रत्येक जिला में एक सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई का पद है, जिनके द्वारा बाल संरक्षण अधिकार एवं विधि विवादित बच्चों के हितों की रक्षा हेतु समन्वयक का कार्य किया जाता है।

निदेशालय के अन्तर्गत राज्य में महिलाओं के सर्वांगीण विकास, गरीब और वंचित महिलाओं एवं किशोरियों के सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक सशक्तिकरण के उद्देश्य को पूरा करने हेतु वर्ष 1991 में **महिला विकास निगम** की स्थापना की गयी।

महिला विकास निगम का मुख्य कार्य महिला सशक्तिकरण नीतियॉ, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण तथा महिलाओं के प्रशिक्षण, अल्पावास गृह, हेल्पलाईन सहित उनके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों की योजनाओं का कार्यान्वयन करना है।

संगठनात्मक संरचना :- महिला विकास निगम की संगठनात्मक संरचना निम्न प्रकार है :-

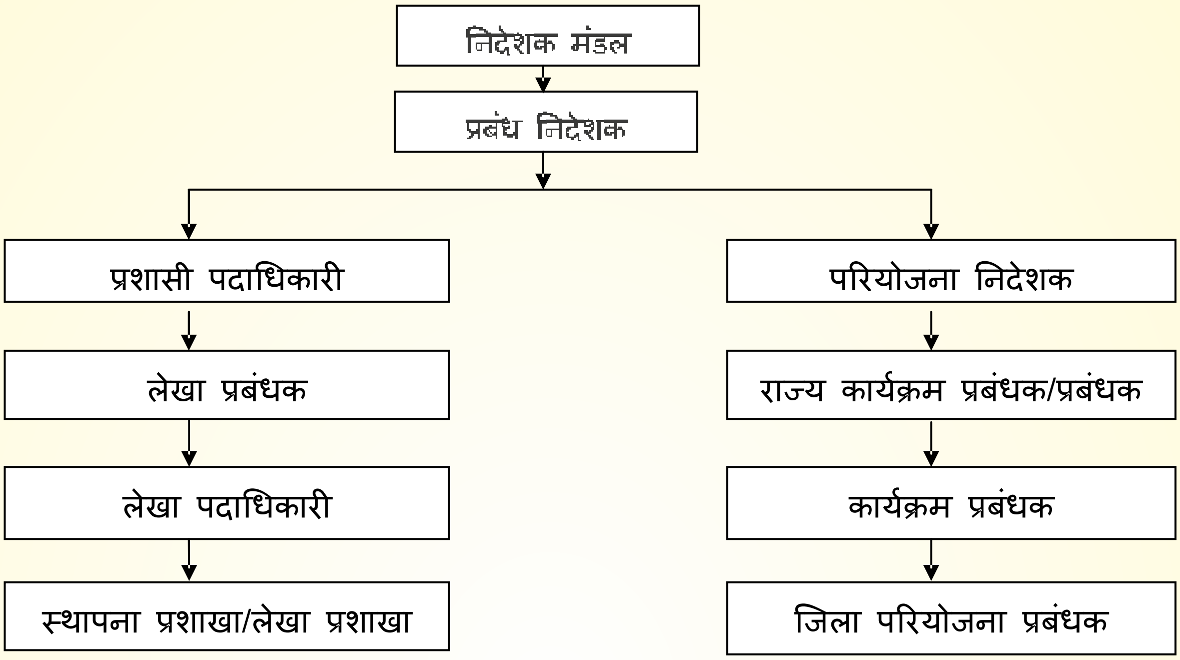

3. सामाजिक सुरक्षा निदेशालय :- इस निदेशालय में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएँ, मृत्योपरान्त अनुग्रह अनुदान योजनाएँ, मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना एवं भिक्षुकों एवं निराश्रितों का पुनर्वास, माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों की अधिकारिता एवं कल्याण, नशा विमुक्ति एवं पुनर्वास आदि संबंधित कार्य संचालित होते हैं।

संगठनात्मक संरचना :- इसकी संगठनात्मक संरचना निम्न प्रकार है :-

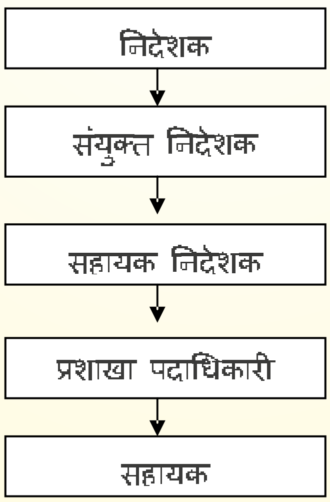

क्षेत्रीय स्तर पर प्रत्येक जिला में निदेशालय के अधीन एक सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग का पद है, जिनके द्वारा निदेशालय की योजनाओं के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण का कार्य किया जाता है।

4. दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय :- इस निदेशालय का गठन समाज कल्याण विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या- 1935 दिनांक 02.04.2018 द्वारा किया गया है। निदेशालय अन्तर्गत दिव्यांगजनों से संबंधित सभी प्रकार के अधिनियम, नियमावली एवं बिहार नि:शक्तता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को छोडकर दिव्यांगजनों के कल्याणार्थ अन्य सभी योजनाओं का संचालन किया जाता है।

संगठनात्मक संरचना :- इसकी संगठनात्मक संरचना निम्न प्रकार है :-

निदेशक

- सहायक निदेशक (मुख्यालय स्तर)
- सहायक निदेशक (प्रत्येक जिला में एक-एक)

क्षेत्रीय स्तर पर प्रत्येक जिला में निदेशालय के अधीन एक सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग का पद है जिसके द्वारा निदेशालय की योजनाओं का कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण का कार्य किया जाता है, इसके अतिरिक्त निदेशालय एवं क्षेत्रीय जिला कार्यालय स्तर पर कोई अन्य पद सृजित नहीं है।

5. राज्य नि:शक्तता आयुक्त का कार्यालय :- दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा-60 (वर्तमान में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-79) के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग, बिहार के अंग के रूप में इस कार्यालय का गठन किया गया है। इस कार्यालय के मुख्य कार्य निम्न है :-

- दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा एवं उनकी पूर्ण भागीदारी के लिए उनसे प्राप्त आवेदनों/परिवादों पर निर्णय कर उन्हें न्याय उपलब्ध कराना।
- गैरसरकारी संस्थानों का दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने हेतु दिव्यांगजन अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत निबंधन प्रमाण-पत्र निर्गत करना।
- दिव्यांग व्यक्ति अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों/जिला पदाधिकारियों इत्यादि द्वारा किये जा रहे कार्यों का अनुश्रवण

करना एवं तत्संबंधी अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त कर वार्षिक/अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदन केन्द्र सरकार/राज्य सरकार को समर्पित करना।

संगठनात्मक संरचना :- इसकी संगठनात्मक संरचना निम्न प्रकार है :-

राज्य नि:शक्तता आयुक्त

↓

अपर राज्य नि:शक्तता आयुक्त

↓

विधि सलाहकार

↓

प्रशाखा पदाधिकारी

↓

सहायक

5. स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पूअर एण्ड सोशल वेलफेयर "सक्षम":- स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पूअर एण्ड सोशल वेलफेयर- 'सक्षम' समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत है। सोसाइटी का लक्ष्य महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों, दिव्यांगजनों, अतिनिर्धन वर्गों व भिक्षुकों के अधिकारों तथा उनके हितों की रक्षा करने हेतु नीति-निर्माण के माध्यम से उनका सर्वागींण विकास तथा सशक्तिकरण करना है।

सोसाइटी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विकास आयुक्त, बिहार सरकार की अध्यक्षता में गठित आम सभा / सामान्य निकाय सक्षम की सर्वोच्च नीति निर्माण इकाई है। विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव/सचिव, सरकारी संगठन एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के अध्यक्ष भी आम सभा/सामान्य निकाय के सदस्य नीति निर्माण में अहम भूमिका निभाते है। अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता में गठित सक्षम की कार्यकारिणी समिति में विभिन्न विभागों/सरकारी संगठनों के सदस्य है, जो कि सक्षम के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अहम भूमिका निभाते हैं।

सक्षम की संगठनात्मक संरचना :-

सामान्य निकाय

↓

कार्यकारिणी समिति

↓

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी / परियोजना निदेशक

↓

वरीय प्रशासी पदाधिकारी

↓

विशेष कार्य पदाधिकारी / वरीय वित्त पदाधिकारी / उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

↓

वित्त प्रबंधन विशेषज्ञ / प्रोक्योरमेंट विशेषज्ञ / राज्य कार्यक्रम प्रबंधक

↓

कार्यक्रम प्रबंधक

↓

सहायक कार्यक्रम प्रबंधक

↓

जिला कार्यक्रम प्रबंधक

↓

कार्यक्रम सहायक

मुख्य योजनाएँ

विभाग के अधीन संचालित मुख्य योजनाएँ निम्नवत है :-

महिला प्रक्षेत्र :

- मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना।
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना।
- मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना।
- मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना।
- इंदिरा गॉधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन।
- वन स्टॉप सेन्टर।
- महिला हेल्प लाइन।
- स्वधार गृह (महिलाओं का सुरक्षा एवं सशक्तिकरण)।
- उज्ज्वला गृह।
- राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन।

बाल विकास प्रक्षेत्र :

- समेकित बाल विकास सेवा योजना।
- पूरक पोषाहार कार्यक्रम।
- ऑंगनबाड़ी केन्द्रों में स्कूल पूर्व शिक्षा के बच्चों के लिए पोशाक योजना।
- किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (SAG)।
- राष्ट्रीय क्रेच योजना।
- राष्ट्रीय पोषाहार मिशन

बाल संरक्षण प्रक्षेत्र :

- समेकित बाल संरक्षण योजना।
- बाल गृह, खुला आश्रय, विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान, विशेष गृह एवं पर्यवेक्षण गृहों का संचालन।
- परवरिश।

सामाजिक सुरक्षा प्रक्षेत्र :

- इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन।
- इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन।
- इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन।

- मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना
- लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन।
- बिहार नि:शक्तता पेंशन।

दिव्यांगता प्रक्षेत्र :

दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याणार्थ संचालित पूर्व की सभी योजनाओं को समेकित कर एक योजना-मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना (सम्बल) बनायी गयी है। इसके अन्तर्गत निम्न योजनाएँ संचालित होती है :-

- कृत्रिम अंग एवं उपकरण का वितरण।
- विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति।
- नि:शक्तजनों को शिक्षा एवं स्वरोजगार हेतु ऋण।
- विशेष विद्यालयों का उन्नयन।
- दिव्यांग सर्वेक्षण।
- मानसिक रूप से दिव्यांगजनों के लिए नये विशेष विद्यालयों की स्थापना।
- सुगम्य भारत अभियान के तहत "सिपडा" योजना।

मृत्योपरान्त देय अनुदान योजनाएँ :

- राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना।
- मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना।
- कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना।
- आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका एवं संविदा पर नियुक्त महिला पर्यवेक्षिका के सेवा अवधि के दौरान मृत्यु की स्थिति में अनुग्रह अनुदान।

अन्य योजनाएँ :

- बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढीकरण योजना (BISPS)।
- बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना।
- बिहार शताब्दी एड्स पीडित कल्याण योजना।
- मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना।
- वृद्धाश्रमों का निर्माण।
- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ।
- वस्त्र वितरण योजना।

दिनांक 03.08.2017 को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित समाज कल्याण विभाग की समीक्षात्मक बैठक में विभाग के अधीन कार्यरत विभिन्न इकाईयों के माध्यम से संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए इसे 7-8 अम्ब्रेला स्कीम में समेकित करने का निदेश दिया गया ताकि लाभार्थियों के साथ-साथ विभाग को भी योजनाओं के संचालन एवं अनुश्रवण में सुविधा हो। उक्त निदेश के आलोक में विभाग अन्तर्गत संचालित योजनाओं को सात अम्ब्रेला स्कीम में सन्निहित किया गया है।

पूर्व से संचालित सामाजिक सुरक्षा प्रक्षेत्र की योजनाओं को सन्निहित करते हुए 'मुख्यमंत्री सामाजिक सहायता एवं प्रोत्साहन छत्र योजना'; दिव्यांगजन प्रक्षेत्र अन्तर्गत संचालित योजनाओं को सन्निहित करते हुए 'मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना'; बाल विकास प्रक्षेत्र की योजनाओं को सन्निहित करते हुए 'समेकित बाल विकास छत्र योजना'; बाल संरक्षण प्रक्षेत्र अन्तर्गत संचालित योजनाओं को सन्निहित करते हुए 'मुख्यमंत्री बाल संरक्षण छत्र योजना' तथा राज्य के निराश्रित, असहाय, भिक्षुक, किन्नर, वृद्धजन एवं विधवा के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाने, पुनर्वास कार्यक्रमों एवं सेवाओं के संवितरण के सुदृढ़ीकरण हेतु 'मुख्यमंत्री वृहद सहायता छत्र योजना' बनाया गया है। इन सभी पाँचों छत्र योजना पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है। इसके अतिरिक्त महिला प्रक्षेत्र से संबंधित संचालित योजनाओं को भी मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण छत्र योजना के अन्तर्गत समाहित किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना को भी एक छत्र योजना का रूप दिया गया है।

इस छत्र योजना से जहाँ एक ओर इसके अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन से एकरूपता एवं सुगमता होगी वही दूसरी ओर धनराशि के वितरण में किसी राष्ट्रीयकृत अथवा अधिसूचित व्यावसायिक बैंक के Parent-Child Account एवं DBT की व्यवस्था होने से सरलता एवं पारदर्शिता भी आएगी।

One Umbrella–One Bank की तर्ज पर सभी छत्र योजनाओं के लिए चयनित बैंकों में खाता खोला गया है तथा आवश्यकतानुसार जिलों/अधीनस्थ कार्यालयों में Parent-Child Bank Account के तहत ही लाभार्थियों का भुगतान किया जा रहा है। साथ ही विभाग अन्तर्गत संचालित सभी योजनाओं हेतु लाभुकों के लिए एक आवेदन पत्र तथा गैर सरकारी संस्थाएँ, जो विभाग अन्तर्गत संचालित योजनाओं के लिए सेवाएँ प्रदान करते है, उनके लिए भी एक आवेदन किया गया है। इसमें प्रक्रियात्मक एकरूपता होने से लाभार्थियों को भी संशय कम होगा और उन्हें भी योजना का लाभ समझने एवं उसे प्राप्त करने में आसानी होगी।

निदेशालयवार संचालित योजनाओं एवं अन्य कार्यक्रमों को विस्तृत जानकारी निम्न प्रकार है :-

बाल विकास प्रक्षेत्र की योजनाएँ

समेकित बाल विकास सेवाएँ (ICDS) निदेशालय:- इस निदेशालय द्वारा मुख्यतः केन्द्र प्रायोजित स्कीम 'आई0सी0डी0एस0 योजना' के अन्तर्गत छः प्रकार की सेवाएँ ऑगनबाडी केन्द्रों पर (0-6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती तथा धातृ महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार: स्कूल-पूर्व शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा संदर्भ सेवाएँ) प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना (PMMVY), किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (SAG/SABLA), राष्ट्रीय पोषण मिशन (NNM), राष्ट्रीय क्रेच स्कीम (NCS) आदि संचालित होती हैं। योजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु नीतिगत विषयों, बजट प्रशिक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन आदि का कार्य भी किया जाता है।

निदेशालय के अधीन प्रत्येक जिला में एक जिला प्रोग्राम पदाधिकारी तथा प्रत्येक परियोजना में एक बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का पद स्वीकृत है। जिनके द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण, निगरानी एवं अनुश्रवण का कार्य किया जाता है।

समेकित बाल विकास सेवा योजना:- वर्ष 1975 से प्रारंभ हुई 'समेकित बाल विकास सेवा योजना' एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। यह प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास के लिए एक अनूठा सर्वव्यापी समुदाय आधारित कार्यक्रम है, जिसके अन्तर्गत बच्चों और महिलाओं की बहुआयामी तथा पारस्परिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कारगर तथा कम लागत पर सेवाएँ दी जाती है।

उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समेकित रूप से निम्नलिखित छः सेवायें 0-6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती तथा धातृ महिलाओं व किशोरी बालिकाओं को इस कार्यक्रम द्वारा प्रदान की जाती है:-

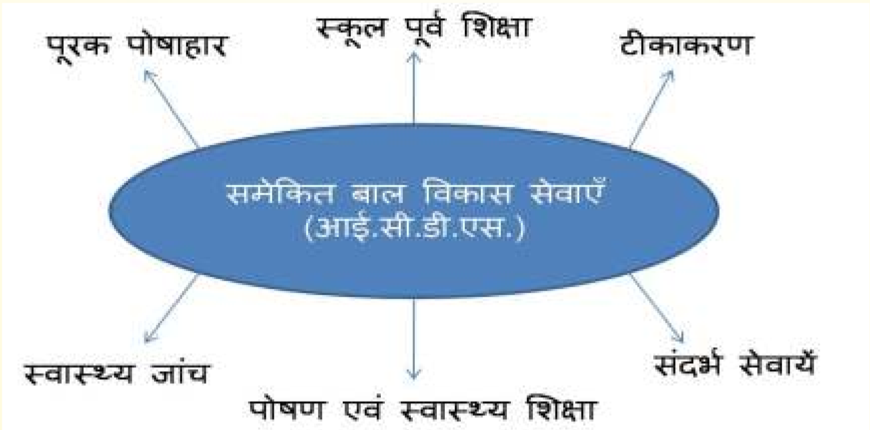

- **आई.सी.डी.एस. योजना अन्तर्गत ऑगनबाडी सेवाएँ (सामान्य) :-** राज्य के सभी जिलों में जिला प्रोग्राम कार्यालय एवं सभी प्रखंडों में 544 बाल विकास परियोजना कार्यालय स्वीकृत एवं संचालित है। भारत सरकार के निर्णय के आलोक में वेतन मद में (25:75/0:100) एवं अन्य सभी मदों यथा-वेतन मद को छोड़कर स्थापना के अन्य मद, प्रशिक्षण, ई0सी0सी0ई0, पी0एस0ई0 किट्स, मेडिसीन किट्स, उपकरण/उपस्कर आदि में 60:40 का अनुपात निर्धारित है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में ऑगनबाड़ी सेवायें (सामान्य) मद में केन्द्रांश मद में रू. 75313.61 लाख बजट उपबन्ध के विरूद्ध रू. 27992.54 लाख तथा राज्यांश मद में रू. 57086.05 लाख बजट उपबन्ध के विरूद्ध रू. 20630.17 लाख तथा राज्य स्कीम में रू. 29909.24 लाख के विरूद्ध रू. 13015.67 लाख का व्यय किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में ऑगनबाड़ी सेवाएँ (सामान्य) मद में केन्द्रांश में रू. 77112.55 लाख, राज्यांश में रू. 23330.71 लाख एवं राज्य स्कीम में रू. 30173.58 लाख का उदव्यय प्राप्त है।

- **पूरक पोषाहार कार्यक्रम :-** राज्य में कुल स्वीकृत 114718 ऑगनवाड़ी केन्द्रों (मिनी सहित) के माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष के सभी सामान्य/कुपोषित/अतिकुपोषित बच्चों एवं सभी गर्भवती/शिशुवती (धातृ) महिलाओं को पूरक पोषाहार प्रदान किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस योजना अन्तर्गत केन्द्रांश मद में रू.91122.69 लाख बजट उपबन्ध के विरूद्ध रू॰ 53891.94 लाख तथा राज्यांश मद में रू. 91389.92 लाख बजट उपबन्ध के विरूद्ध रू॰ 65569.04 लाख व्यय किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस योजना अन्तर्गत केन्द्रांश मद में रू॰ 143636.43 लाख तथा राज्यांश मद में रू॰ 43388.92 लाख का उदव्यय प्राप्त है।

- **किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (SAG/SABLA) :-** इस योजना के तहत 11-14 वर्ष के विद्यालय नहीं जाने वाली किशोरी बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने के साथ-साथ पूरक पोषाहार भी प्रदान किया जाता है। भारत सरकार से केन्द्रांश एवं राज्यांश में गैर-पोषण (60:40) एवं पोषण मद (50:50) का अनुपात निर्धारित है। इस योजना के अन्तर्गत ऑगनबाडी केन्द्रों के माध्यम से किशोरी बालिकाओं को पोषाहार, आयरन एवं फोलिक एसिड की गोली, स्वास्थ्य जॉच, संदर्भित सेवा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से प्रदान की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में केन्द्रांश मद में रू. 430.74 लाख बजट उपबन्ध के विरूद्ध रू. 6.49 लाख तथा राज्यांश मद में रू. 932.98 लाख बजट उपबन्ध के विरूद्ध रू.4.97 लाख का व्यय किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रांश मद में रू.433.92 लाख तथा राज्यांश मद में रू.0.03 लाख का उदव्यय प्राप्त है।

राष्ट्रीय पोषण अभियान (ISSNIP/NNM) :- इस योजना द्वारा आई.सी.डी.एस. के माध्यम से बच्चों की स्कूल पूर्व शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य में अपेक्षित सुधार, सामूहिक सहभागिता, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के माध्यम से लाभार्थियों को बेहतर सेवा प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा था। राष्ट्रीय पोषण मिशन का क्रियान्वयन राज्य के सभी 38 जिलों में किया जा रहा है। सहभागिता, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के माध्यम से लाभार्थियों को बेहतर सेवा प्रदान करने का प्रयास किया जाता है।

माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के कर कमलों द्वारा सिवान जिलें में बच्चों का अन्नप्राशन कराते हुए

राष्ट्रीय पोषण मिशन का क्रियान्वयन राज्य के सभी 38 जिलों में किया जा रहा है।

योजना का मुख्य उददेश्य:-

- विभिन्न विभागों यथा महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायती राज, पी0 एच0 ई0 डी0 इत्यादि से समन्वय स्थापित करते हुए वर्ष 2022 तक 0-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों में बाधित विकास को 38 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक कम करना है।
- बच्चों के कुपोषण दर में प्रति वर्ष 2 प्रतिशत एवं किशोरी एवं महिलाओं के एनीमिया दर में प्रति वर्ष 3 प्रतिशत की कमी लाने में संयुक्त रूप से प्रयास किये जाने हैं।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य संचालित किये गये हैं :-

- आई.सी.डी.एस. सेवाओं की गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार लाने हेतु एक सशक्त, सक्षम तथा सुगम अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण प्रणाली राज्य के सभी 38 जिलों में सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा रहा है। आई.सी.डी.एस.- कैश के माध्यम से आँगनावाड़ी केन्द्रों पर होने वाले गतिविधियों का संधारण मोबाईल-ऐप के द्वारा किया जा रहा है। डैशबोर्ड के माध्यम से सभी स्तरों पर आँगनवाड़ी केन्द्रों द्वारा की जाने वाली गतिविधि का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सुगमतापूर्वक किया जाता है।
- समुदाय में पोषण के प्रति जागरूकता एवं व्यवहार में परिवर्तन कर स्वस्थ आदतों को अपनाये जाने हेतु क्रमिक रूप से 'सतत् क्षमता विकास' पद्धति के अन्तर्गत क्रमिक क्षमता विकास प्रक्रिया (ILA) अंतर्गत Module-1 से 15 तक का क्रियान्वयन राज्य के सभी 38 जिलों में संचालित कर लिया गया है। इस गतिविधि से क्षेत्रीय स्तर पर आँगनवाड़ी सेविकाओं, आशा एवं ANM का क्षमतावर्धन किया गया है, जिसके कारण उनकी कार्य कुशलता में बढोतरी हुई है।

○ समुदाय आधारित गतिविधि के अन्तर्गत बच्चों में होने वाले कुपोषण की दर में कमी लाने के लिए प्रत्येक माह के 19वीं तिथि को ''अन्नप्रासन'' एवं मातृ पोषण व उनसे होने वाले शिशु के बेहतर पोषण के लिए प्रत्येक माह के 7वीं तारीख को ''गोदभराई'' दिवस का आयोजन किया जाता है।

महामहिम राज्यपाल बिहार के कर कमलों द्वारा अन्नप्राशन कार्यक्रम का आयोजन राजभवन में दिनांक 30 दिसंबर 2019 को हुई

नवाचार अभिनव प्रयोग :-

अग्रगामी परियोजना के रूप में राज्य में 11 अभिनव प्रयोग किये जा रहे हैं, जिसमें पोषण अभियान के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अति कुपोषित बच्चों का समुदाय स्तर पर प्रबंधन, पोषण वाटिका के द्वारा स्वस्थ्य एवं पोषित खाद्य सामग्री की उपलब्धता लाभार्थी तक पहुँच, समुदाय रेडियो के माध्यम से जन-समान्य तक पोषण के संदेशो को पहुँचाना एवं बच्चों में उपरी आहार का बढ़ावा देने हेतु स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खाद्य सामाग्री पर जागरूकता जैसे विषयों पर अभिनव प्रयोग किये जा रहे हैं। यह अभिनव प्रयोग राज्य के 10 जिलों में क्रियान्वित है।

प्रोत्साहन

पोषण अभियान के तहत् ऑगनवाड़ी केन्द्र स्तर पर सेविकाओं को 60% से अधिक लक्ष्य का गृह भ्रमण, 60% बच्चों का लक्षित समूह का वजन लेने पर प्रतिमाह 500/- (पॉच सौ रूपये) सेविकाओं को प्रोत्साहन राशि तथा सहायिकाओं को न्यूनतम 21 दिन ऑगनवाड़ी केन्द्र को खोले जाने पर 250/-(दो सौ पचास रूपये) प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है।

राष्ट्रीय पोषण मिशन (NNM) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रस्तावित कार्ययोजना :-

- **ICDS-CAS**
  - ○ पोषण अभियान के तहत राज्य में संचालित सभी गतिविधियों को प्रतिवेदन का संधारण आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा मोबाईल एप के माध्यम से शत-प्रतिशत किया जाता है। राज्य के सभी 38 जिलों में **ICDS-CAS** संचालित किया जा रहा है।

मानीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार एवं बिल गेट्स को आंगनवाड़ी सेविका के द्वारा आईसीडीएस कैश पर जानकारी देते हुए

- **क्रमिक क्षमता विकास प्रक्रिया (ILA)**
  - o सतत् सीख प्रणाली के तहत् क्रमिक क्षमता विकास (ILA) प्रशिक्षण 21 मॉडयूल के माध्यम से सभी स्तर पर (राज्य, जिला, परियोजना, सेक्टर एवं ऑगनवाड़ी केन्द्र स्तर तक) क्षमता संवर्द्धन किया जाता है, स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधित 21 मॉडयूलों को सुगमता पूर्वक उन्मूखीकरण के लिए डिजिटल किया गया है। जिससे राज्य के सभी महिला पर्यवेक्षिकाओं एवं ऑगनवाड़ी सेविकाओं को स्मार्ट फोन में एप के माध्यम e-ILA से प्रशिक्षित किया जा रहा है।

- **समुदाय आधारित गतिविधि (CBE)**
  - समुदाय आधारित गतिविधि के अंतर्गत प्रत्येक ऑगनवाड़ी केन्द्र में प्रतिमाह 19 तारीख को अन्नप्रासन एवं 7वीं तारीख को गोदभराई गतिविधि का संचालन किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत गर्भवती एवं धातृ माताओं को बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित परामर्श प्रदान किया जाता है ताकि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके।
- **एक अभिनव पहल (Innovation)**
  - राज्य के खगड़िया, नालंदा, पटना, वैशाली, सीतामढ़ी, मधुबनी, बक्सर, कैमूर, रोहतास एवं पूर्णियॉ जिले में अग्रगामी योजना के तहत नवाचार किये जा रहे है। शेष जिलों में भी पोषण अभियान के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु नये नवाचार प्रयोग किया जाना प्रक्रियाधीन है।
- **प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार**
  - पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित संदेशों को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं लेखन के मध्यम से जन सामान्य तक ग्रामीण स्तर तक पहुंचाया जा रहा है।

    वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस योजना अन्तर्गत केन्द्रांश मद में रू.19816.52 बजट उपबन्ध के विरूद्ध रू.10842.48 लाख तथा राज्यांश मद में रू.5109.61 बजट उपबन्ध के विरूद्ध रू.1099.66 लाख का व्यय किया गया है।

    वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस योजना अन्तर्गत केन्द्रांश मद में रू.24019.60 लाख तथा राज्यांश मद में रू.3002.45 लाख का उदव्यय प्राप्त है।

- **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) :-** प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात क्रमशः 60:40 है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती/धातृ महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाना तथा गर्भावस्था के दौरान हुये Wage Loss के विरूद्ध उन्हें आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत नगद राशि का हस्तांतरण सीधे लाभार्थी के आधार से संबद्ध बैंक/पोस्ट ऑफिस खाता में DBT के माध्यम से किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत सभी गर्भवती/धातृ महिलाओं को प्रथम जीवित संतान हेतु सशर्त नगद लाभ पी० एफ० एम० एस० के माध्यम से 5000/- रुपये का भुगतान तीन किस्तों में क्रमश: रू. 1,000/-, रू. 2,000/- एवं रू. 2,000/- की दर से किया जाता है।

  वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस योजना अन्तर्गत केन्द्रांश मद में रू. 2213.40 बजट उपबन्ध के विरूद्ध रू.16.05 लाख तथा राज्यांश मद में रू.1465.79 लाख बजट उपबन्ध के विरूद्ध रू 40.70 लाख का व्यय किया गया है।

  वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस योजना अन्तर्गत केन्द्रांश मद में रू. 2423.54 लाख तथा राज्यांश मद में रू.5247.85 लाख का उदव्यय प्राप्त है।

- **ऑगनबाडी केन्द्र भवन निर्माण योजना :-** ऑगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण आई.सी.डी.एस. तथा मनरेगा योजना के अभिसरण से ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसमें रू.7.00

(सात) लाख के स्वीकृत प्राक्कलन में रू. 5.00 (पॉच) लाख ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार द्वारा मनरेगा योजना से एवं शेष रू. 2.00 (दो) लाख आई.सी.डी.एस. से व्यय किया जाता है। आई.सी.डी.एस. से दी जाने वाली राशि रू. 2.00 (दो) लाख में से रू.1.20 (एक लाख बीस हजार) भारत सरकार द्वारा ऑगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण पूर्ण होने के पश्चात् प्रतिपूर्ति की जाती है।

उक्त के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग, बिहार द्वारा पिछले वित्तीय वर्षों (2016-17 एवं 2017-18) में दिये गये लक्ष्य यथा 1000-1000 ऑगनबाड़ी केन्द्र को पूरा करने का निर्णय लिया गया है। भारत सरकार के निदेशानुसार सभी संचालित आँगनबाड़ी केन्द्रों पर शौचालय एवं पेयजल की सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस योजना अन्तर्गत केन्द्रांश मद में रू. 5388.97 लाख बजट उपबन्ध के विरूद्ध रू.342.05 लाख तथा राज्यांश मद में रू.1865.24 लाख बजट उपबन्ध प्राप्त है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस योजना अन्तर्गत केन्द्रांश मद में रू. 2013.96 लाख तथा राज्यांश मद में रू. 0.02 लाख एवं राज्य स्कीम मद में रू. 0.02 लाख का उदव्यय प्राप्त है।

- **राष्ट्रीय क्रेच स्कीम** (NCS):- भारत सरकार के निदेशानुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 से इस नई योजना की संचालन आई.सी.डी.एस. निदेशालय अन्तर्गत किया जाना है। क्रेच एक सुविधा है जहॉ काम-काजी महिलाऍ माह में न्यूनतम 15 दिन अपने 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को रख कर अपने कार्य हेतू जा सकती है। क्रेच में बच्चों की देखभाल, सम्पूर्ण विकास के साथ-साथ पोषण एवं स्वास्थ्य सुधार की सुविधा दी जाती है।

  वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस योजना अन्तर्गत केन्द्रांश मद में रू. 60.00 लाख एवं राज्यांश मद में रू. 30.00 लाख का उदव्यय प्राप्त है।

- **इंदिरा गॉधी मातृत्व सहयोग योजना अन्तर्गत राष्ट्रीय महिला शक्तिकरण मिशन:-** राष्ट्रीय महिला शक्तिकरण मिशन महिलाओं से संबंधित योजनाओं के कार्यकलापों के सफल संचालन हेतु राशि महिला विकास निगम, पटना के माध्यम से दिया जाता है।

  वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस योजना अन्तर्गत केन्द्रांश मद में रू. 1417.07 लाख एवं राज्यांश मद में रू. 384.39 लाख का उदवयय/वितीय उपबंध प्राप्त है।

  वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस योजना अन्तर्गत केन्द्रांश में रू. 1500.00 लाख तथा राज्यांश में रू.0.02 लाख का उदव्यय प्राप्त है।

- **ऑगनबाडी केन्द्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना:-** राज्य के बाल विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत कार्यरत सभी ऑगनबाडी केन्द्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहें 3 से 6 वर्ष आयु के सभी बच्चों को रू.400/-. वार्षिक लागत की दर पर पोशाक की राशि नगद दी जाती है। यह शत प्रतिशत राज्य योजना है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस योजना में रू. 16521.76 लाख बजट उपबन्ध के विरूद्ध रू.9357.91 लाख का व्यय किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में रू. 17826.40 लाख का उदव्यय प्राप्त है।

- **एम.आई.एस. प्रणाली :-** आई.सी.डी.एस. योजना के अन्तर्गत मैनेजमेंट इनफॉरमेशन सिस्टम को सुदृढ़ करने हेतु राज्य स्तर पर डाटा सेन्टर की स्थापना की गई है। जिला/परियोजना स्तर पर संबंधित कार्यालयों में कम्प्यूटर की व्यवस्था की गयी है, साथ ही उक्त कार्यालयों में कम्प्यूटर के संधारण हेतु बेल्ट्रॉन/जिला स्तरीय पैनल से डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की सेवाएँ उपलब्ध करायी गयी है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में रू.1750.00 लाख के विरूद्ध रू. 817.37 लाख का व्यय किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में रू. 2000.00 लाख का उदव्यय प्राप्त है।

- **सामाजिक अंकेक्षण:-** ऑगनबाड़ी केन्द्रों के क्रियाकलापों एवं कार्यक्रमों को सुचारू अनुश्रवण हेतु सामाजिक अंकेक्षण एक कारगर तरीका है। इसके अन्तर्गत समुदाय के द्वारा ऑगनबाड़ी केन्द्रों का लेखा-जोखा लिया जाता है जो सामुदायिक सशक्तिकरण का प्रभावशाली माध्यम है। संशोधित सामाजिक अंकेक्षण मार्गदर्शिका के अनुसार वर्ष में दो बार 20 जून एवं 20 दिसम्बर को सामाजिक अंकेक्षण किये जाने का प्रावधान किया गया है।

- **आँगन एप्लीकेशन -**

परिचय

- आँगन एप्लीकेशन एक मोबाईल आधारित सॉफ्टवेयर है जिसे बिहार के सभी ऑगनवाडी केन्द्रों की निरीक्षण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए विकसित किया गया है।
- इसकी शुरूआत पटना जिले में लगभग 4000 ऑगनवाडी केन्द्रों की निरीक्षण प्रक्रिया से की गयी थी।
- संबंधित परियोजना में तैनात बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पयवेक्षिका द्वारा ऑगनवाडी केन्द्रों की नियमित जॉच में सहायता करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है।
- यह एप्लीकेशन जॉच प्रतिवेदन बनाने एवं उसको तत्काल ही सर्वर पर अपलोड करने की सुविधा प्रदान करता है।
- इसके माध्यम से सेविका/सहायिका की उपस्थिति विवरणी को भी ऑगन ऐप पर अपलोड किया जाता है। जिसके आधार पर **PFMS** के माध्यम से सेविका/सहायिका को मानदेय राज्य स्तर से हीं भुगतान किया जाता है।

उपयोग

- इस एप्लीकेशन के उपयोग से निरीक्षण प्रतिवेदन शीघ्र भेजा जा सकता है।
- ऑगनवाडी केन्द्र के सही जी.पी.एस. स्थान प्राप्त कर सकते है।
- ऑगनवाडी केन्द्र में जल सुविधा की उपलब्धता का निर्धारण किया जा सकता है।

- ऑगनवाडी केन्द्रों की अन्य जानकारी संग्रह कर फोटो सहित भेजने की सुविधा प्रदान करता है।
- इस एप्लीकेशन के द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन को तत्काल भेजा जा सकता है।
- व्यय वाउचर (ExpenditureVoucher) की प्रविष्टि कर भेजने की सुविधा प्रदान करता है।
- यह एप्लीकेशन ऑफलाईन मोड में भी काम करने में सक्षम है।

महिला प्रक्षेत्र

महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक प्रगति के लिए तथा उन्हें राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा में लाने, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों और राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों में लैंगिक समानता के सिद्धांत तथा राज्य सरकार के सुशासन के कार्य सूची में दी गयी सर्वोच्च प्राथमिकता के अनुरूप राज्य में बिहार राज्य महिला सशक्तिकरण नीति-2015 लागू की गयी है।

नीति के उद्देश्यों की पूर्ति की श्रृंखला में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की उपलब्धि के संबंध में स्थिति निम्न प्रकार है :-

- **मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना :-** इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवार को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना, विवाह के निबंधन को प्रोत्साहित करना, कन्या शिक्षा को प्रोत्साहित करना एवं बाल विवाह को रोकना है। इस योजना के तहत बी0पी0एल0 परिवार अथवा ऐसे अन्य परिवार जिनकी आय 60,000/- (साठ हजार) रूपये तक हो, की कन्या को विवाह के समय मात्र 5000/- (पाँच हजार) रूपये का भुगतान किया जाता है। इस योजना के सुचारू कार्यान्वयन तथा त्वरित भुगतान हेतु निदेशालय स्तर से ई-सुविधा के माध्यम से लाभुकों को DBT प्रक्रिया द्वारा भुगतान किया जा रहा है।

  वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस योजना अन्तर्गत 6979.00 लाख रू0 के योजना उदव्यय/बजट उपबंध के विरूद्ध 2724.00 लाख रू0 का व्यय किया गया है।

  वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस योजना अन्तर्गत 6700.00 लाख रू0 का योजना उदव्यय प्राप्त है।

- **राज्य सदन एवं संरक्षण आश्रय गृह :-** राज्य सरकार द्वारा पटना जिला में एक उत्तर रक्षा गृह संचालित है। इस गृह के बेहतर प्रबंधन के मद्देनजर एवं आवासिनों को गुणवत्तापूर्ण देखभाल एवं प्रशिक्षण इत्यादि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नाजरथ अस्पताल सोसायटी, मोकामा में कार्यरत है।

  वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस योजना अन्तर्गत 200.61 लाख रू0 के योजना उदव्यय/बजट उपबंध के विरूद्ध 159.03 लाख रू0 का व्यय किया गया है।

  वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस योजना अन्तर्गत 218.88 लाख रू0 का योजना उदव्यय प्राप्त है।

महिला विकास निगम

राज्य सरकार द्वारा महिलाओं एवं किशोरियों के विकास तथा सशक्तिकरण हेतु महिला विकास निगम, बिहार का गठन किया गया है, जिसका निबंधन सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत 28 नवम्बर 1991 को किया गया है। निगम समाज कल्याण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग के अधीन कार्यरत एक स्वायतशासी निकाय है। इसका सम्पूर्ण प्रबंधन सरकार द्वारा अधिसूचित निदेशक मण्डल द्वारा किया जाता है। निगम के निदेशक मण्डल के अध्यक्ष समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव होते हैं तथा प्रबंध निदेशक इसके सदस्य सचिव होते हैं। महिला विकास निगम के गठन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं एवं किशोरियों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार, सर्वांगीण विकास एवं सशक्तिकरण है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्नांकित गतिविधियां निर्धारित की गई हैं:

- आर्थिक सशक्तिकरण हेतु दीर्घकालीन आजीविका निर्माण को प्रोत्साहन,
- महिलाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास व प्रोत्साहन,
- महिला अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर जागरूकता एवं क्षमता विकास,
- सांस्कृतिक एवं रचनात्मक कौशल को प्रोत्साहन तथा क्षमता विकास,
- महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन, पोषण, प्रोत्साहन तथा क्षमता विकास,
- सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं के साथ संलग्नता।

- **मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना:-** कन्या शिशु के जन्म के प्रोत्साहन, जन्म पंजीकरण, सम्पूर्ण टीकाकरण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को प्रोत्साहन, शिक्षा को बढ़ावा, बाल विवाह के रोकथाम आदि हेतु मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना संचालित है। इस योजना के तहत कन्या शिशु के जन्म पर शिशु के माता/पिता/अभिभावक के बैंक खाता में रूपये 2000/- (दो हजार) दी जाती है तथा कन्या शिशु के 01 वर्ष पूर्ण होने पर तथा आधार पंजीकरण किये जाने के बाद 1000/- (एक हजार) उक्त खाते में पुन: देय होगा। इस योजना के लाभार्थी को अपने पोषक क्षेत्र की आंगनबाड़ी केंद्र में अपना पंजीकरण करवाना होता है। आवेदन का अनुमोदन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा किया जाता है। इस योजना का लाभ एक परिवार की केवल दो कन्या शिशु को देने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत 231522 लाभार्थियों को भुगतान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में 4300.00 लाख रू0 के योजना उदव्यय/बजट उपबंध के विरूद्ध 3300.00 लाख रू0 का व्यय किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में 8000.00 लाख रू0 का योजना उदव्यय प्राप्त है।

- **मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना :-** महिलाओं एवं किशोरियों के समेकित विकास एवं सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना नाम से संचालित है। इस योजना के निम्नांकित घटक हैं।

क. महिला हेल्पलाईन :-

घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को परामर्श के माध्यम से घर को टूटने से बचाने, आवश्यकता के अनुसार थानों में प्राथमिकी कराने में मदद, विधिक सहायता आदि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के सभी 38 जिलों में जिला पधाधिकारी के अधीन महिला हेल्प लाईन की स्थापना की गई है तथा उसका संचालन किया जा रहा है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा वन स्टॉप सेंटर के संचालन हेतु प्राप्त निदेश के आलोक में योजना को पुनर्गठित किया गया है तथा इसे वन स्टॉप सेंटर - सह - महिला हेल्प लाईन के नाम से संचालित किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में पंजीकृत केसों की कुल संख्या 6234 एवं निष्पादित केसों की कुल संख्या 7095 (विगत वर्ष के लंबित केस सहित) है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दिसंबर माह तक महिला हेल्प लाईन - सह - वन स्टॉप सेंटर में पंजीकृत केसों की कुल संख्या 4077 एवं निष्पादित केसों की कुल संख्या 3673 है।

ख. अल्पावास गृह :-

घरेलू हिंसा अथवा अन्य कारणों से किसी महिला अथवा किशोरी को अपने घर में आवासन की असुविधा होने की स्थिति में उन्हें अल्पकालीन आवास की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राज्य के सभी जिलों में अल्पावास गृह की स्थापना एवं संचालन की स्वीकृति मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत दी गई है, जिसके आलोक में वर्तमान समय में राज्य के 14 जिलों में अल्पावास गृह का संचालन कई सरकारी संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में अल्पावास गृहों में पंजीकृत संवासिनों की कुल संख्या 1704 एवं पुनर्वासित संवासिनो की कुल संख्या 1741 (विगत वर्ष के लंबित सहित) है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दिसंबर तक अल्पावास गृह में पंजीकृत संवासिनों की कुल संख्या 701 तथा पुनर्वासित संवासिनों की कुल संख्या (विगत वर्ष के लंबित सहित)709 है।

ग. रक्षा गृह :-

मानव पणन की शिकार अथवा घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के सुरक्षित आवासन एवं पुनर्वासन के उद्देश्य से मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत रक्षा गृह का संचालन- तोमर हाउस, जानकी पुरम, विधिनगर, गोला रोड, दानापुर, पटना में किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में रक्षा गृह में निबंधित संवासिनों की कुल संख्या 85 तथा पुनर्वासित संवासिनों की कुल संख्या 72 है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रक्षा गृह में 14 महिलाएं एवं 05 बच्चे आवासित रहे।

घ. विशेष महिला कोषांग :-

थानों में महिलाओं के लिए अनुकूल वातावरण के निर्माण, परामर्श तथा प्राथमिकी दर्ज कराने में महिलाओं एवं किशोरियों को सहयोग देने हेतु पटना जिला के 23 पुलिस थानों में विशेष महिला कोषांग की स्थापना की गई है। निगम द्वारा प्रत्येक विशेष महिला कोषांग में एक परामर्शी की नियुक्ति की गई है।

इनमें कुल 11839 केस निबंधित है तथा 11744 केसों का परामर्श द्वारा निष्पादित किया गया है।

ड. सामाजिक पुनर्वास कोष :-

मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के जरूरतमन्द महिलाओं एवं किशोरियों के पुनर्वास के लिए एक कोष की व्यवस्था की गई है, जिसे सामाजिक पुनर्वास कोष के नाम से जाना जाता है। इसके लिए राज्य के 38 जिलों को दो समूहों यथा - सोर्स तथा डेस्टिनेशन में वर्गीकरण किया है। सोर्स जिले के जिला पदाधिकारी के पास 225000.00 रू० एवं डेस्टिनेशन वाले जिला पदाधिकारियों को 285000.00 रू० की दर से राशि उपलब्ध कराई जाती है। इस राशि से जिला पदाधिकारी द्वारा अधिकतम 6000.00 रू० तक किसी पीड़ित महिला या किशोरी को अनुदान अथवा ऋण के रूप में भुगतान का प्रावधान है। सामाजिक पुनर्वास कोष से कुल 1080 लाभार्थियों को कुल रुपए 55.10 लाख रू० का भुगतान किया गया है।

च. सेवा प्रक्षेत्र प्रशिक्षण :-

इसका उद्देश्य राज्य की महिलाओं एवं किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के उपरांत विभिन्न सेवा प्रक्षेत्र में नियोजन के योग्य बनाना तथा नियोजन तथा स्वनियोजन करना है। सरकार के निर्णय के आलोक में सेवा प्रक्षेत्र में प्रशिक्षण को बिहार कौशल विकास मिशन के तहत निर्धारित मानक के अनुसार किया जा रहा है। बिहार कौशल विकास मिशन के तहत निबंधित 12 गैर सरकारी संस्थाओं अथवा सेवा प्रदाता संस्थाओं के माध्यम से 512 बैच में कुल 13441 प्रशिक्षुओं को स्वरोजगार एवं नियोजन हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

छ. सामाजिक जागरूकता (नुक्कड़ नाटक) :-

बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के उन्मूलन, शराबबंदी, जल जीवन हरियाली आदि जैसे सामाजिक मुद्दों पर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से राज्य की सभी पंचायतों में कम से कम दो नुक्कड़ नाटक प्रदर्शन किए जाने का प्रावधान किया गया है। राज्य के 11 जिलों को अधिक बाल विवाह एवं दहेज वाला जिला चिन्हित किया गया है, जिनमें प्रत्येक पंचायत में कम से कम तीन नुक्कड़ नाटक के प्रदर्शन का प्रावधान किया गया है। नुक्कड़ नाटक के प्रदर्शन के लिए निविदा के माध्यम से कुल 22 गैर सरकारी संस्थाओं का चयन किया गया है, जिनके द्वारा राज्य के सभी जिलों में नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया जा रहा है।

प्रथम चरण में राज्य के कुल 2166 पंचायतों में 4332 नाटकों का प्रदर्शन किया गया था। वर्तमान में द्वितीय चरण के लिए सभी 2166 पंचायतों में 4332 नुक्कड़ नाटक के प्रदर्शन हेतु कार्यादेश दिया गया है।

ज. जिला महिला सशक्तिकरण कार्यालय हेतु भवन निर्माण:-

महिलाओं से सबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन, समन्वय, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन आदि के लिए राज्य के 37 जिलों में जिला महिला सशक्तिकरण कार्यालय हेतु भवन का निर्माण करने की योजना है। 30.44 लाख रूपये प्रति इकाई की दर से सम्प्रति 20 जिलों में जिला महिला सशक्तिकरण कार्यालय भवन का निर्माण किया गया है।

झ. जेंडर रिसोर्स सेंटर :-

जेंडर से सबंधित विषयों पर प्रशिक्षण, अध्ययन एवं अनुसंधान आदि के साथ ही साथ जेंडर बजट के निर्माण में तकनीकी सहयोग के लिए महिला विकास निगम द्वारा एक जेंडर रिसोर्स सेंटर की स्थापना की गई है।

जेंडर रिसोर्स सेंटर के माध्यम से राज भवन के 227 पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को जेंडर विषय पर उन्मुखीकरण कार्यशाला, 176 महिला पत्रकारों को जेंडर संवेदीकरण, 84 मीडिया कर्मचारियों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है। सोच बदलो अभियान के तहत 517 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

ट. बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन अभियान :-

सरकार ने राज्य में तेजी से हो रहे बौनापन को गंभीरता से लिया है। बौनापन के लिए बाल विवाह और दहेज प्रथा को प्रमुख कारण माना गया है। अतः बाल विवाह और दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2018 एवं वर्ष 2019 में भी बाल विवाह एवं दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए मानव श्रृंखला बनाया गया था, जिसमे चार करोड़ से ज्यादा लोगों ने भाग लिया था। इन दोनों प्रथा के उन्मूलन के लिए निगम द्वारा अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जो निम्नांकित है: -

- **प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को प्रशिक्षण :-**

सरकार द्वारा राज्य के प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को सहायक बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी अधिसूचित किया है। अतः बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम विषय पर प्रशिक्षण का आयोजन किया, जिसमें राज्य के 534 प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया।

- **पेंटिंग एवं वाद विवाद प्रतियोगिता :-**

राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पेंटिंग एवं वाद - विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के प्रत्येक प्रखण्ड के दो - दो स्कूलों के कुल 9898 किशोरियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली किशोरियों को प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया तथा उनकी पेंटिंग को सार्वजनिक अवसर पर प्रदर्शित किया गया।

- **विकास मित्रों का प्रशिक्षण :-**

अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा विकास योजनाओं के प्रति लोगों में जागरूकता के लिए बड़ी संख्या में विकास मित्रों को नियोजित किया गया है। बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए किशोर और किशोरियों को समूह में संगठित करने हेतु कुल 7000 विकास मित्रों को प्रशिक्षण दिया गया है। इस प्रशिक्षण में उन्हें कानूनी जानकारी भी दिया गया है।

- **जिला एवं प्रखण्ड समन्वयक का नियोजन :-**

बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के उन्मूलन हेतु राज्य में जिला समन्वयक तथा 36 प्रखण्ड समन्वयको का नियोजन और नियोजन उपरांत प्रशिक्षण दिया गया है। इनके साथ ही, निगम के 19 जिला परियोजना प्रबन्धकों को भी बाल विवाह एवं दहेज प्रथा प्रतिषेध अधिनियम विषय पर प्रशिक्षण दिया गया।

- **मुखिया का प्रशिक्षण :-**

बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के उन्मूलन में पंचायत प्रतिनिधियों एवं पंचायती राज संस्थाओं की महत्ता को स्वीकार करते हुये यह महसूस किया गया कि मुखिया को भी प्रशिक्षण दिया जाए। अतः राज्य के 8466 मुखिया को पटना में आमंत्रित कर प्रशिक्षण दिया गया।

- **जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जिला सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी का उन्मूखीकरण:**

राज्य के सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी तथा जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारियों को बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन हेतु अधिनियम का उन्मूखीकरण कार्यशाला आयोजित किया गया, जिसमें 70 से अधिक पदाधिकारियों ने भाग लिया।

- **जिला कल्याण पदाधिकारियों का प्रशिक्षण :-**

राज्य के सभी जिला कल्याण पदाधिकारियों को सरकार द्वारा दहेज प्रतिषेध पदाधिकारी अधिसूचित किया गया है। अतः दहेज प्रतिषेध अधिनियम विषय पर राज्य के सभी जिला कल्याण पदाधिकारियों का उन्मूखीकरण किया गया।

- **अनुमंडल पदाधिकारियों का उन्मूखीकरण :-**

राज्य में कुल 101 अनुमंडल हैं, जिसके प्रधान अनुमंडल पदाधिकारी होते हैं। सरकार द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी अधिसूचित किया गया है। अतः सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श और निर्देश पर राज्य के सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को बाल विवाह एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम पर एक दिवसीय उन्मूखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया।

- **किशोर एवं किशोरी समूह का गठन :-**

किसी भी देश और समाज का भविष्य बच्चों पर निर्भर होता है। बाल विवाह और दहेज प्रथा का सबसे ज्यादा प्रभाव किशोर एवं किशोरियों पर ही पड़ता है। अतः उन्हें इन कूरीतियों से बचाने के लिए पहले से ही तैयार किए जाने की आवश्यकता को महसूस करते हुये, उनको समूह में संगठित करने की योजना निगम ने बनाया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कुल 30133 समूह का गठन किया गया है, जिनसे लगभग 361596 किशोर और किशोरी जुड़े हैं।

- **महिला हेल्पलाईन नंबर 181 :-**

महिलाओं एवं किशोरियों को त्वरित सहयोग तथा रेफरल सुविधा उपलब्ध करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वित्त पोषण से महिला विकास निगम के मुख्यालय में महिला हेल्पलाईन नंबर 181 स्थापित किया गया है, जिसकी सेवाएँ 24*7 उपलब्ध है। इसमें कोई भी पीड़ित एवं प्रताड़ित और संकटग्रस्त महिला या किशोरी निःशुल्क फोन कॉल कर महिला हेल्प लाईन की सेवाएँ यथा - परामर्श, रेफरल और जानकारी प्रकट कर सकती हैं । महिला हेल्प लाईन में कुल 142410 कॉल प्राप्त किया गया है, जिनमें से 1864 केस निबंधित हुये तथा 1850 केसों का निष्पादन किया गया है। शेष कॉल जानकारी अथवा दूसरे राज्यों से सबंधित थे।

बिहार राज्य महिला आयोग

महिलाओं को सम्मान देना एवं उनके अधिकारों की रक्षा करना हमारी सांस्कृतिक एवं सामाजिक परम्परा रही है। शास्त्रों में कहा गया है कि 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्तेतत्र देवता:' अर्थात जहॉ नारियों की पूजा होती है वहॉ देवताओं का निवास होता है। समाज में महिलाओं के इसी विशिष्ट स्थान को दृष्टि में रखकर बिहार राज्य महिला आयोग का गठन महिला जागृति, उनके अधिकार सुनिश्चित करने, महिला प्रताड़ना तथा महिलाओं की समस्याओं का निराकरण करने तथा सामाजिक कुरीतियों इत्यादि के मामलों में महिलाओं को न्याय दिलाने हेतु किया गया है। बिहार राज्य महिला आयोग का कार्य, राज्य में महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु सुरक्षा के दक्षतापूर्ण कार्यान्वयन हेतु प्रतिवेदन में अनुशंसा करना, महिलाओं को प्रभावित करने वाले विद्यमान उपबंधों और विधियों का समय-समय पर पुनर्वलोकन करना और उनके बारे में संशोधन की अनुशंसा करना, विधान में किसी कमी, अपर्याप्तता या कमजोरियों को ठीक करने हेतु सुधारात्मक विधायी अध्युपायों के संबंध में परामर्श देना तथा राज्य में महिलाओं के विरूद्ध हो रहे अत्याचारों और महिलाओं से संबंधित विधियों के उल्लंघन के सभी मामलों को सक्षम प्राधिकार के समक्ष लाना तथा संबंधित विषयों पर शिकायतों की जॉच करना आदि है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार राज्य महिला आयोग के कार्यालय व्यय हेतु कुल रूपये 250.00 लाख का योजना उदव्यय प्राप्त है।

बाल संरक्षण प्रक्षेत्र की योजनाएं

- **समेकित बाल संरक्षण योजना:-** बाल अधिकार, बाल संरक्षण एवं बाल कल्याण के लिए राज्य में समेकित बाल संरक्षण योजना का क्रियान्वयन केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ समन्वय कर किया जा रहा है। योजना अंतर्गत किशोर न्याय परिषद् एवं बाल कल्याण समिति के संचालन में होने वाले व्यय में केन्द्र एवं राज्य सरकार का अंशदान 35 प्रतिशत एवं 65 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी अवयवों में केन्द्र एवं राज्य सरकार का अंशदान 60 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत है तथा गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से संचालित बाल देखरेख संस्थानों में केन्द्र, राज्य एवं गैर सरकारी संस्थाओं का अंशदान क्रमश: 60 प्रतिशत, 30 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत है। समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत संचालित होने वाले महत्वपूर्ण घटकों एवं कार्यक्रमों की विवरणी निम्नवत है-
- **राज्य बाल संरक्षण समिति (SCPS):-** समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु राज्य स्तर पर समाज कल्याण विभाग अंतर्गत कार्यरत राज्य बाल संरक्षण समिति गठित है। समिति के पदेन अध्यक्ष, अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, समाज कल्याण विभाग, पदेन उपाध्यक्ष, निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय एवं परियोजना निदेशक, संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय है।
- **राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण (SARA):-** समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण कार्यरत है, जिसका मुख्य उद्देश्य अनाथ, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित बच्चें जो अपने माता-पिता/वैधिक अभिभावक से पूर्ण रूप से अलग हो चुके हो, को देशीय एवं अंतर्देशीय दत्तकग्रहण के माध्यम से पुन: परिवार में एकीकृत कराना एवं दत्तकग्रहण सलाहकार समिति को प्रशासकीय सहायता उपलब्ध कराना है। यह केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण एवं राज्य सरकार के बीच समन्वय स्थापित करती है तथा राज्य के विभिन्न जिलों में संचालित विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थानों का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करती है। वित्तीय वर्ष 2015-16 मे 100, 2016-17 में 90, 2017-18 में 198, 2018-19 में 210 एवं 2019-20 में 95 बच्चों को दत्तकग्रहण के माध्यम से परिवार में एकीकृत किया गया है, जिसमें अंतर्देशीय दत्तकग्रहण की कुल संख्या- 2015-16 में 05, 2016-17 में 15, 2017-18 में 36, 2018-19 में 39 एवं 2019-20 में 34 शामिल है।

- **जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) :-** जिला स्तर पर योजना के कार्यान्वयन एवं कार्यरत इकाईयों के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यरत है एवं इसके नोडल पदाधिकारी सहायक निदेशक, बाल संरक्षण हैं, जिनकी स्थायी नियुक्ति की जा चुकी है। जिला बाल संरक्षण इकाई में संस्थागत एवं गैर संस्थागत कार्यक्रमों के लिए 2 बाल संरक्षण पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की गयी है। इसके अतिरिक्त विधि-सह-परिवीक्षा अधिकारी (1), परामर्शी (1), ऑकड़ा विश्लेषक (1), सामाजिक कार्यकर्ता (2) एवं आउटरीच वर्कर (2) के पदों पर भी संविदा आधारित नियुक्ति की गयी है। जिला बाल संरक्षण इकाई संबंधित जिले के जिला पदाधिकारी के समग्र प्रशासनिक नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करती है।

- **बाल गृह (Children's Home) :-** किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा-50 के आलोक में 06 से 18 वर्ष आयु समूह के निराश्रित, परित्यक्त, परिवार विहीन बच्चों को उनके पुनर्वास (पारिवारिक पुनर्मिलन, दत्तकग्रहण, फोस्टर केयर इत्यादि) तक आवासित करने के लिए सरकार द्वारा पटना में दो (बाल गृह, अपना घर एवं बालिका गृह, निशांत) एवं बेगूसराय जिले में एक (बाल गृह, बसेरा) अर्थात् कुल तीन बाल गृहों का संचालन पूर्व से किया जा रहा है। शेष बाल गृह स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित किये जा रहे हैं।

क्र. सं.	बाल गृहों की संख्या	जिला का नाम	अभ्युक्ति
1	कुल 23	**बाल गृह**-मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, जमुई, पश्चिम चंपारण, बक्सर, मुंगेर, दरभंगा, छपरा, पूर्णियां, रोहतास, गया, सहरसा, पटना (03), सीतामढ़ी, नालंदा, किशनगंज, मधुबनी, कटिहार, समस्तीपुर, भागलपुर एंव पूर्वी चम्पारण।	कुल 23 बाल गृहों में 2 बाल गृह अपना घर, पटना एवं बेगुसराय जिलों में सरकार द्वारा, गया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पूर्वी चम्पारण एवं सीतामढ़ी जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा तथा शेष बाल गृह गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित है।
2	कुल 11	**बालिका गृह**- मधुबनी, सारण, किशनगंज, पूर्णियां, पटना (3), गया, पूर्वी चम्पारण, भागलपुर एवं बेगूसराय।	कुल 11 बालिका गृहों में 1 बालिका गृह निशांत, गाय घाट, पटना जिला में सरकार द्वारा तथा शेष बालिका गृह गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित है।

- **पर्यवेक्षण गृह (Observation Home) :-** किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा-50 के आलोक में वर्तमान में राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 38 पर्यवेक्षण गृहों (जो विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों के मामले की सुनवाई तक आवासित करने

के लिए) के निर्माण हेतु स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है तथा गृहों के निर्माण हेतु भवन निर्माण विभाग, बिहार को राशि उपलब्ध करायी जा चुकी है। वर्तमान में बिहार के 14 जिलों यथा- पटना, भोजपुर, गया, जमुई, नालंदा, मधेपुरा, छपरा, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णियां, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, अररिया एवं पूर्वी चम्पारण में विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों हेतु पर्यवेक्षण गृह का संचालन किया जा रहा है।

क्र. सं.	बाल गृहों की संख्या	जिला का नाम	अभ्युक्ति
1	कुल 14	पटना, भोजपुर, गया, जमुई, नालंदा, मधेपुरा, छपरा, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णियां, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, अररिया एवं पूर्वी चम्पारण।	सभी पर्यवेक्षण गृह सरकार द्वारा संचालित है।

- **विशेष गृह (Special Home)** :- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 48 के आलोक में विधि का उल्लंघन करनेवाले किशोरों का दोष सिद्ध होने पर उन्हें विशेष गृह में रखे जाने का प्रावधान है। एक विशेष गृह पटना में संचालित है।
- **सुरक्षित स्थान (Place of Safety)** :- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 49 के आलोक में 18 वर्ष से ऊपर के विधि विवादित बच्चे एवं 16-18 वर्ष के जघन्य अपराध करने वाले बच्चों को रखे जाने का प्रावधान है। शेखपुरा जिला में एक सुरक्षित स्थान संचालित है।
- **खुला आश्रय (Open Shelter)** :- शहरी तथा अर्धशहरी क्षेत्रों में देखभाल तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों विशेषतया भिखारियों, आवारा तथा कामकाजी बच्चों, कूड़ा बीनने वाले बच्चों, छोटे विक्रेताओं, घूम-घूमकर तमाशा दिखाने वाले बच्चों, अनाथ बच्चों, परित्यक्त बच्चों, भागे हुए बच्चों तथा किसी अन्य संवेदी समूह के बच्चों को अस्थायी आश्रय प्रदान करने के लिए राज्य में प्रमण्डल स्तर पर 9 खुला आश्रयों का संचालन समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत विभिन्न स्वंयसेवी संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है।

क्र.सं.	खुला आश्रयों की संख्या	जिला का नाम	अभ्युक्ति
1	09	गया, पूर्णियाँ, भागलपुर, पूर्वी चम्पारण एवं पटना (05)	सभी खुला आश्रय गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित है।

- **विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान (Specialized Adoption Agency)** :- दत्तकग्रहण कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं बच्चों को आवासन हेतु राज्य के 24 जिलों में कुल 25 विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान का संचालन समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत किया जा रहा है। विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान में आवासित बच्चों एवं दत्तकग्रहण माता-पिता से संबंधित ऑकड़ों का संधारण CARINGS प्रणाली के माध्यम से किया जाता है।

क्र.सं.	विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान की संख्या	जिला का नाम	अभ्युक्ति
1	25	बाँका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गोपालगंज, पूर्वी चम्पारण, कैमूर, कटिहार, मधेपुरा, मुंगेर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नवादा, पश्चिम चम्पारण, पटना (02), पूर्णियाँ, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, सीतामढी, सिवान, सुपौल एवं वैशाली	कुल 25 विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थानों में सुपौल, कैमूर, नवादा, बेगूसराय, सीतामढ़ी, मधुबनी, सिवान, वैशाली, सारण, पश्चिम चम्पारण, मुंगेर एवं भोजपुर जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा तथा शेष गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित है।

- **पालना केन्द्र / शिशु स्वागत केन्द्र :-** गैर कानूनी दत्तकग्रहण को रोकने एवं कानूनी दत्तकग्रहण को बढावा देने तथा बच्चों के सुरक्षित परित्याग सुनिश्चित करने हेतु सभी जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/नर्सिंग होम/अन्य संस्थानों में 10-15 पालना लगाये गए है। प्राय: ऐसा देखा जाता है कि अनचाहे नवजात शिशुओं को सड़क किनारे/डस्टवीन/रेलवे लाईन/खेत/झाड़ी/सार्वजनिक स्थानों पर फेंक दिया जाता है तथा ये बच्चे किसी जानवर का शिकार हो जाते हैं अथवा ज्यादा देरी होने के कारण शिशु की जान बचाना मुश्किल हो जाता है। अब अनचाहे बच्चों को पालना केन्द्र में छोड़ा जा सकता है। इन पालना केन्द्र के समीप सभी प्रमुख संपर्क नंबरों को प्रदर्शित किया गया है तथा पालना केन्द्र को नजदीकी विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान से जोड़ा गया है। इस माध्यम से पिछले 2 वर्षों में 12 बच्चों को सुरक्षित बचाया गया है।
- **विशेष किशोर पुलिस इकाई (Special Juvenile Police Unit) :-** सभी 44 पुलिस जिले में SJPU का गठन किया जा चुका है। बाल कल्याण समिति (CWC), किशोर न्याय परिषद (JJB), जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) एवं सरकार द्वारा संचालित गृहों में रिक्त पदों पर नियोजन हेतु कर्रवाई की जा रही है।
- **किशोर न्याय सचिवालय/बाल मित्र विशेष न्यायालय :-** उच्च न्यायालय, पटना में किशोर न्याय सचिवालय की स्थापना की गई है। पटना सिविल कोर्ट में बिहार के पहले विशेष न्यायालय/बाल मित्र न्यायालय का उद्घाटन किया जा चुका है। साथ ही बिहार के अन्य सभी जिलो में विशेष न्यायालय/बाल मित्र न्यायालय की स्थापना की गई है।
- **परवरिश :-** परवरिश राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित लक्षित समूहों के 0-18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को समाज में बेहतर पालन-पोषण एवं उनकी गैर संस्थानिक देख-रेख को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान भत्ता के रूप में रू० 1000/- प्रतिमाह की दर से डी० बी० टी० के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना अन्तर्गत कुल 16,385 बच्चों को आच्छादित किया गया है। इस योजना की पात्रता निम्नवत है-

(क) अनाथ एवं बेसहारा बच्चें अथवा अनाथ बच्चें जो अपने निकटतम संबंधी अथवा नाते रिश्तेदार के साथ रह रहे हों, जिनकी वार्षिक आय 60,000 रूपये से कम हो अथवा गरीबी रेखा के अधीन हो।

(ख) एच.आई.वी.*(Positive)*/ Visible Deformities Grade-II के कुष्ठ रोग एवं कैंसर रोग से पीड़ित बच्चे अथवा इन रोग से पीड़ित माता/पिता की संतानें।

इसके अतिरिक्त इस योजना की पात्रता में संशोधन करते हुए वैसे बच्चें भी अनाथ एवं बेसहारा बच्चें माने जायेंगे जिनके माता एवं पिता की या तो मृत्यु हो गयी हो या मानसिक दिव्यांगता या कारावास में बंदी होने के कारण से अथवा किसी अन्य न्यायिक आदेश से वे अपने बच्चें के परवरिश करनें में असमर्थ हो गए हों परन्तु ऐसी बाध्यकारी परिस्थिति के समाप्त हो जाने पर उनकी पात्रता भी स्वतः समाप्त हो जाएगी।

- सभी बाल देखरेख संस्थानों के प्रभावी अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु यूनिसेफ के सहयोग से **Home Management Information System (HMIS)** **https://hmis.scpsbihar.in** विकसित किया गया है जिसके अंतर्गत बाल संरक्षण के सभी हितधारकों द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देख रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत समय-समय पर बाल देख-रेख संस्थानों का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन Real Time में ऑनलाईन अपलोड किया जाता है। देश का इस प्रकार का यह पहला ऑनलाईन सिस्टम है, जिसमें डैशबोर्ड के माध्यम से Critical alert generation, Real Time Monitoring एवं Evaluation की सुविधा है।
- इसके साथ ही कार्यरत **Child Protection Management Information System (CPMIS)** **https://www.cpmis.org** को यूनिसेफ के सहयोग से अपग्रेड किया गया है, जिसके उपरान्त बाल संरक्षण से संबंधित सभी प्रकार के प्रतिवेदन/ऑकड़े एक ही डैशबोर्ड पर उपलब्घ होते है। इसके अंतर्गत बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय परिषद, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल देख रेख संस्थान (विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान सहित), विशेष किशोर पुलिस इकाई द्वारा मासिक प्रतिवेदन अपलोड किया जाता है। Real time basis पर डैशबोर्ड पर उपलब्ध इंडिकेटर के माध्यम से सभी प्रकार के प्रतिवेदन Generate होते है। सभी बाल देखरेख संस्थानों में बच्चों के सर्वोतम हित को सुनिश्चित करने हेतु **Integrated CCTV Footage Recording System** की स्थापना राज्य स्तर पर की जा रही है। इसके अंतर्गत राज्य में संचालित सभी बाल देखरेख संस्थानों में CCTV कैमरा लगाया जा रहा है, जिसकी रिकॉर्डिंग राज्य स्तर पर सुरक्षित रखने का प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में परवरिश योजना अन्तर्गत 1900.00 लाख रू० के योजना उदव्यय/बजट उपबंध के विरूद्ध 1615.00 लाख रू० व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस योजना अन्तर्गत 2200.00 लाख रू० का योजना उदव्यय प्राप्त है।

बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग

बाल अधिकार, विशेषतया पारिवारिक संरक्षण से वंचित यथा निराश्रित, उपेक्षित, अनैतिक पणन के शिकार, शोषण के शिकार बालकों के अधिकारों के संरक्षण एवं उनके हनन के मामलों में त्वरित कारवाई हेतु बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 को अधिसूचित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम की धारा 17(2) के विभागीय संकल्प संख्या- 2028 दिनांक-23.12.2008 द्वारा बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है। राज्य सरकार के उक्त संकल्प में निहित निर्देशों एवं बाल अधिकार संरक्षण अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या-1768 दिनांक 28.08.2010 एवं 1778 दिनांक 30.08.2010 द्वारा बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की प्रथम नियुक्ति तथा विभागीय अधिसूचना सं0-362 दिनांक 21.02.2014 तथा 363 दिनांक 21.02.2014 तथा 363 दिनांक 21.02.2014 द्वारा द्वितीय नियुक्ति की गयी थी।

बिहार राज्य में 2010 से एक बाल अधिकार संरक्षण आयोग कार्यरत रहा है जिसमें बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण तथा उनके अधिकारों के हनन के मामले में आयोग ने अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों को पूर्ण संवेदनशीलता से एवं विधिसम्मत रूप से कार्य किया है। बाल अधिकार के हनन के मामले में पारदर्शी जॉच, अनुशंसा एवं त्वरित न्याय के लिए जो भी शक्तियाँ इसे प्राप्त है, उसका उपयोग करते हुए इसने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के अतिरिक्त सचिव एवं अन्य पदाधिकारियों ने भी आयोग को राज्य में प्रतिस्थापित करने तथा बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करने में अपनी महती भूमिका का परिचय दिया है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में 430.00 लाख रू0 के योजना उदव्यय/बजट उपबंध के विरूद्ध 141.90 लाख रू0 का व्यय किया गया।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में 294.96 लाख रू0 का योजना उदव्यय प्राप्त है।

समाज के असहाय वर्गों/असंगठित क्षेत्र के लिए संचालित योजनाएँ एवं कार्यक्रम

सामाजिक सुरक्षा प्रक्षेत्र :

- **राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्रीय पेंशन योजनाएँ :**
  - इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन।
  - इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन।
  - इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन।

- **राज्य पेंशन योजनाएँ :**
  - मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना।
  - लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन।
  - बिहार नि:शक्तता पेंशन।

• इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना :-

- इस योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवार के 60-79 वर्ष आयु वर्ग के वृद्ध व्यक्ति को रू0 400/- प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है, जिसमें रू0 200/- केन्द्र सरकार द्वारा एवं रू0 200/- राज्य सरकार द्वारा अंशदान किया जाता है।
- 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के वृद्ध व्यक्ति को रू0 500/- प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है, जिसमें शत-प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा दी जाती है।
- इस योजना में आवेदन विहित प्रपत्र में दो प्रतियों में प्रखण्ड के RTPS काउन्टर पर जमा किया जाता है।
- इस योजना की स्वीकृति पदाधिकारी, अनुमण्डल पदाधिकारी हैं।

• इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना:-

- इस योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवार के 40-79 वर्ष आयु वर्ग की विधवा महिला को रू0 400/- प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है, जिसमें रू0 300/- केन्द्र सरकार द्वारा एवं रू0 100/- राज्य सरकार द्वारा अंशदान किया जाता है।
- 80 वर्ष आयु के उपरान्त इस योजना के पेंशनधारियों को इन्दिरा गाँधी वृद्धावस्था पेंशन योजना में स्थानांतरित किया जाता है।
- इस योजना में आवेदन विहित प्रपत्र में दो प्रतियों में प्रखण्ड के RTPS काउन्टर पर जमा किया जाता है।

○ इस योजना की स्वीकृति पदाधिकारी, अनुमण्डल पदाधिकारी हैं।

- **इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना:-**

○ इस योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवार के 18-79 वर्ष आयु वर्ग के 80 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांग व्यक्ति को रू0 400/- प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है, जिसमें रू0 300/- केन्द्र सरकार द्वारा एवं रू0 100/- राज्य सरकार द्वारा अंशदान किया जाता है।

○ 80 वर्ष आयु के उपरान्त इस योजना के पेंशनधारी को इन्दिरा गाँधी वृद्धावस्था पेंशन योजना में स्थानांतरित किया जाता है।

○ इस योजना में आवेदन विहित प्रपत्र में दो प्रतियों में प्रखण्ड के RTPS काउन्टर पर जमा किया जाता है।

○ इस योजना की स्वीकृति पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी हैं।

- **लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना:-**

○ इस योजना के अन्तर्गत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की वैसी विधवा जिनकी वार्षिक आय रू0 60,000/- से कम हो या जो बी0पी0एल0 परिवार की हों परन्तु इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अन्तर्गत आच्छादित नहीं हों, को रू0 400/- प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है।

○ इसमें शत-प्रतिशत राशि राज्य सरकार के द्वारा अंशदान किया जाता है।

○ इस योजना में आवेदन विहित प्रपत्र में दो प्रतियों में प्रखण्ड के RTPS काउन्टर पर जमा किया जाता है।

○ इस योजना की स्वीकृति पदाधिकारी, अनुमण्डल पदाधिकारी हैं।

- **बिहार निःशक्तता पेंशन योजना:-**

○ इस योजना के अन्तर्गत किसी भी आय एवं आयुवर्ग के 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति को रू0 400/- प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है।

○ इसमें शत-प्रतिशत राशि राज्य सरकार के द्वारा अंशदान किया जाता है।

○ इस योजना में आवेदन विहित प्रपत्र में दो प्रतियों में प्रखण्ड के RTPS काउन्टर पर जमा किया जाता है।

○ इस योजना की स्वीकृति पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी हैं।

➢ वित्तीय वर्ष 2019-20 में पूर्व से संचालित पाँच सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत लगभग 65.29 लाख पेंशनधारियों को दिसम्बर, 2019 तक भुगतान किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में उक्त पांच सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए कुल प्राप्त

उदव्यय/बजट उपबंध रू० 331112.00 लाख के विरूद्ध रू० 235061.97 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 288353.00 लाख के उदव्यय प्राप्त है

- **मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना :-**

- ○ राज्य के सभी वृद्धजनों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना वित्तीय वर्ष 2019-20 से लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी आय वर्ग के वृद्धजनों को रू0 400/- प्रतिमाह तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु होने पर रू0 500/- प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। पेंशन का भुगतान 01.04.2019 से किया जा रहा है।
- ○ केन्द्र/राज्य सरकार से कोई वेतन, पेंशन, पारिवारिक पेंशन या सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहे वृद्धजन इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
- ○ इस योजना में आवेदन विहित प्रपत्र में दो प्रतियों में प्रखण्ड के RTPS काउन्टर पर जमा किया जाता है। साथ ही, इस में sspmis.in पर ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था भी की गई है।
- ○ इस योजना में पेंशन आवेदनों की जॉच एवं पेंशन भुगतान की स्वीकृति प्रक्रिया को सरल एवं सुगम्य बनाया गया है एवं आवेदक के आधार कार्ड से उम्र सत्यापन, ईपिक कार्ड से आवासीय पता का सत्यापन एवं पी० एफ० एम० एस० के द्वारा बैंक खाता के सत्यापन के आधार पर निदेशालय स्तर से ही आवेदन को स्वीकृत कर स्वीकृत्यादेश निर्गत करने का प्रावधान किया गया है।

- ➢ मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में 14.07 लाख पेंशनधारियों को डी० बी० टी० के माध्यम से माह दिसम्बर, 2019 तक पेंशन का भुगतान किया जा चुका है।
- ➢ वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस योजना के लिए कुल रू० 38400.00 लाख के बजट उपबंध के विरूद्ध रू० 38375.00 लाख का व्यय किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 70000.00 लाख का उदव्यय प्राप्त है।

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना' के तहत भुगतान की शुरुआत

'मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना' के भुगतान का शुभारम्भ करते माननीय मुख्यमंत्री, बिहार

'मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना' के तहत डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) के माध्यम से दिनांक 14 जून, 2019 को लाभार्थियों को भुगतान की शुरूआत कर दी गई है। मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित 'संवाद' पटना में आयोजित एक संक्षिप्त कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा योजना के तहत डिजिटल भुगतान की शुरूआत की गई। इससे योजना के एक लाख से अधिक लाभुकों के खाते में पेंशन की राशि के सीधे भुगतान की शुरूआत की गई। पेंशन की राशि 01 अप्रैल 2019 से देय है। इस अवसर पर पेंशन योजना के लाभुकों के प्रतिनिधियों के रुप में कुछेक लाभुकगण भी उपस्थित थे जिन्हें अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित भी किया गया।

योजना के लाभुकगण ऑन लाईन व्यवस्था sspmis.in पर योजना के लाभ के लिए आवेदन दे सकेंगे। इसके लिए विशेष रूप से तैयार की गई एम.आई.एस. प्रणाली की भी शुरूआत की गई।

इस अवसर पर स्वागत संबोधन में श्री अतुल प्रसाद, अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग ने कहा कि आज का दिन बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह माननीय मुख्यमंत्री का vision है जिसके तहत मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत डिजिटल भुगतान की शुरूआत की गयी है। यह माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच रही है कि बिना किसी भेद-भाव के योजनाओं का सार्वभौमिक आच्छादन हो। श्री दीपक कुमार, मुख्य सचिव ने कहा ऐसी सार्वभौमिक पेंशन योजना देश के गिने-चुने ही राज्यों में है। इस कदम से बिहार इस दिशा में अग्रणी बनकर सामने आया है।

माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, श्री रामसेवक सिंह ने कहा कि 27 फरवरी 2019 को इस योजना की घोषणा की गयी है। आज एक लाख से अधिक लाभुकों के खाते में राशि स्थानान्तरित की जाएगी। यह कदम पूरे देश के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है। इससे अभी तक छूटे हुए वृद्धजनों का हौसला बुलंद हुआ है। लाभुकों से आग्रह है कि इसका लाभ लेने के लिए आधार से जरूर जुड़े।

अपने अभिभाषण में श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा समाज कल्याण विभाग को बधाई देते हुए सम्बोधित किया गया कि निर्धारित अगस्त माह से देय लक्ष्य की आज शुरूआत हो गई। विदित हो कि वृद्धावस्था पेंशन के लाभुक सीमित है तथा उनका बी.पी.एल. से जुड़ाव न होने के कारण उन्हे पेंशन का लाभ नहीं मिलता है, जिसकी आवश्यकता महसूस हुई। इसलिए यह सकारात्मक कदम उठाया गया है। 2011 की जनगणना के आधार पर तथ्यों का आंकलन कर सार्वभौमिक आच्छादन के बारे में विचार किया गया। तकरीबन 35-36 लाख वृद्धजन पेंशन से वंचित थे, इसलिए सभी वंचित वृद्धजनों को पेंशन देने का निर्णय लिया गया। इसपर राज्य सरकार को प्रतिवर्ष 1800 करोड रू० का अतिरिक्त व्यय होगा।

मृत्योपरांत देय अनुदान योजनाएँ :-

दुर्घटना से मृत्यु की स्थिति में मृतक के पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता हेतु तीन योजनाएँ चलाई जा रही हैं-

- **राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना:-**
  - इसके अन्तर्गत 18-60 वर्ष आयु वर्ग के कमाऊ सदस्य (Bread Winner) की अकस्मात मृत्यु पर उसके आश्रित को एकमुश्त रू० 20,000/- की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसमें शत-प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त होती है।
  - वित्तीय वर्ष 2019-20 में रू० 3296.81 लाख का बजट स्वीकृत है तथा जिसमें 468 लाभुकों को ई-सुविधा पोर्टल से भुगतान किया गया है।

    वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल रू० 7200.00 लाख का उदव्यय प्राप्तहै।
- **मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना:-**
  - इस योजना के अन्तर्गत किसी भी उम्र के व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु या 18-60 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्ति की आपराधिक घटना में मृत्यु होने की स्थिति में उसके आश्रित परिवार/निकटस्थ संबंधी को एक मुश्त रू० 20,000/- की सहायता दी जाती है।
  - वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए रू० 500.00 लाख का बजट स्वीकृत है, तथा जिसमें 313 लाभुकों को ई-सुविधा पोर्टल से भुगतान किया गया है।

    वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल रू० 400.00 लाख का बजट उपबंध प्राप्त है।
- **कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना:-**
  - इस योजना के अन्तर्गत बी०पी०एल० परिवार के किसी भी आयु के व्यक्ति की मृत्यु पर उसके अन्त्येष्टि क्रिया हेतु परिवार को रू० 3000/- की एकमुश्त सहायता दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत e-suvidha पोर्टल के माध्यम से लाभुकों को भुगतान किया जा रहा है।

- ○ वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए रू0 3500.00 लाख का बजट स्वीकृत है तथा 7978 लाभुकों को ई-सुविधा पोर्टल से भुगतान किया गया है एवं प्रत्येक पंचायत के खाता में 05 लाभुकों के लिए रू0 15,000/-, प्रत्येक नगर पंचायत में 10 लाभुकों के लिए रू0 30,000/-, प्रत्येक नगर परिषद में 20 लाभुकों के लिए रू0 60,000/- तथा प्रत्येक नगर निगम में 30 लाभुकों के लिए रू0 90,000/- One Time Advance के रूप में उपलब्ध करायी गयी है।

  वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल रू0 3500.00 लाख का उदव्यय प्राप्त है।

अन्य योजनाएँ :-

- **बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना:-**

- ○ इसके अन्तर्गत Visible Deformities Grade-II के कुष्ठ रोगी को भोजनादि हेतु रू0 1500/- प्रतिमाह प्रति कुष्ठ रोगी की दर से आर्थिक सहायता दी जाती है।
- ○ इस योजना का मुख्य उद्देश्य जीविकोपार्जन में असमर्थ कुष्ठ रोगियों को भिक्षावृत्ति से दूर रखना है।
- ○ वित्तीय वर्ष 2019-20 में रू0 1800.00 लाख का बजट स्वीकृत है तथा अब तक 10054 लाभुकों को ई-सुविधा पोर्टल के माध्यम से भुगतान किया गया है।

  वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल रू0 1800.00 लाख का उदव्यय प्राप्त है।

- **बिहार शताब्दी एड्स पीडित कल्याण योजना:-**

- ○ बिहार स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाईटी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना की सहायता से संचालित इस योजना के तहत एड्स रोगियों को मुफ्त भोजन हेतु रू0 1500/- की आर्थिक सहायता दी जाती है।
- ○ वित्तीय वर्ष 2019-20 में रू0 1000.00 लाख का बजट स्वीकृत है, जिसमें रू0 850.00 लाख बिहार स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाईटी को लाभुकों के बीच वितरण हेतु उपलब्ध कराया जा चुका है।

  वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल रू0 1000.00 लाख का उदव्यय प्राप्त है।

- **मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना:-**

- ○ इस योजना के तहत निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना तथा अन्तर्जातीय विवाह योजना सन्निहित है। अन्तर्जातीय विवाह अथवा दिव्यांग महिला/पुरूष के साथ विवाह करने पर जिसमें महिला एवं पुरूष की आयु क्रमशः 18 और 21 वर्ष से अन्यून हो तो अन्तर्जातीय विवाह के लिए महिला को एवं दिव्यांगजन से विवाह के लिए दिव्यांगजन को अनुदान देय होगा, यदि ऐसी विवाह में पति-पत्नी दोनों दिव्यांग हों तो दोनों को अनुदान देय होगा। इसी प्रकार दिव्यांगजन यदि अंतर्जातीय विवाह करतें हैं तो दिव्यांग

विवाह के साथ-साथ अंतर्जातीय विवाह के लिए देय अनुदान भी अनुमान्य होगा। उदाहरणतया- यदि पति पत्नी दोनों दिव्यांग हों और उनकी जाति भी भिन्न हो तो पत्नी को अंतर्जातीय विवाह एवं दिव्यांग विवाह दोनों के लिए तथा पति को दिव्यांग विवाह हेतु अर्थात अनुदान की तीन इकाई अनुमान्य होगी। इन दोनों योजना के तहत अधिकतम परिपक्वता राशि देने वाले राष्ट्रीयकृत बैंको में सावधि जमा के माध्यम से रू0 1,00,000/- अनुदान के रूप में देने का प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत रू0 250.00 लाख के बजट उपबंध के विरूद्ध 68.00 लाख व्यय कर 68 लाभुकों को लाभान्वित किया गया है। अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत रू0 700.00 लाख का बजट उपबंध के विरूद्ध 222.00 लाख व्यय कर 222 लाभुकों को भुगतान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में सभी पात्र लाभुकों के भुगतान हेतु मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना में रू0 300.00 लाख एवं अन्तर्जातीय विवाह में रू0 500.00 लाख का उदव्यय प्राप्त है।

- **ओल्ड एज होम (सहारा) :-**

  - बिहार माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली, 2012 के अन्तर्गत राज्य के 06 जिलों में वृद्धाश्रम 'सहारा' संचालित हैं- पटना, पूर्णियॉ, रोहतास, भागलपुर, पश्चिम चम्पारण एवं बेगूसराय जिन्हें गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से चलाया जा रहा है। भवन निर्माण विभाग के माध्यम से तीन जिलों यथा-पटना, गया एवं पूर्णियॉ में वृद्धाश्रम का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से गुलजारबाग, पटना में 100 बेड वाले वृद्धाश्रम का निर्माण कर लिया गया है, जिसके संचालन के लिए गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्था का चयन कर लिया गया है। साथ ही गया में भी वृद्धाश्रम निर्माणाधीन है।
  - वित्तीय वर्ष 2019-20 में वृद्धाश्रम 'सहारा' के लिए रू0 600.00 लाख का बजट उपबंध के विरूद्ध 85.00 लाख व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में रू0 600.00 लाख का उदव्यय प्राप्त है।

- **वस्त्र वितरण कार्यक्रम :-**

  - वस्त्र वितरण कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत राज्य के भूमिहीन, अपंग, निर्धन तथा भिक्षुकों के बीच धोती, साड़ी, चादर (सूती) एवं ऊनी कम्बल का मुफ्त वितरण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।
  - वित्तीय वर्ष 2019-20 में रू0 200.00 लाख का व्यय किया गया है एवं वितीय वर्ष 2020-21 में रू0 200.00 लाख का उदव्यय प्राप्त है।

- **किन्नर कल्याण बोर्ड :-**

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा वाद संख्या WP (C) 400/2012, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनाम भारत सरकार एवं अन्य में दिनांक 15/04/2014 को पारित न्यायादेश में किन्नरों को तृतीय लिंग के रूप में मान्यता प्रदान करने, उनके पहचान को विधिक मान्यता प्रदान करने, शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन एवं सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण का लाभ देने, HIV Sero-surveillance Centers की स्थापना करने, अस्पतालों में विशेष चिकित्सकीय व्यवस्था तथा सार्वजनिक स्थानों में अलग शौचालय का निर्माण करने, सामाजिक कल्याणकारी योजनायें बनाने इत्यादि का निदेश दिया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त न्याय निर्णय के आलोक में सरकार द्वारा बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन नियमावली, 2015 अधिसूचित की गयी है। उक्त नियमावली के प्रावधान के अनुसार बोर्ड में कुल 21 सरकारी सदस्य एवं अधिकतम 9 किन्नर समुदाय के गैर सरकारी सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान है।

बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड के गठन नियमावली के अनुसार बोर्ड के द्वारा निम्नांकित कार्य किये जाते है:-

- राज्य मुख्यालय एवं क्षेत्रों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान करना।
- 2 विभिन्न विभागों द्वारा किन्नरों के कल्याणार्थ बनायी गयी योजनाओं तथा उनके कार्यान्वयन से संबंधित कार्य का अनुश्रवण करना।
- प्रभावी एवं समन्वय नीति एवं इसके क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना ताकि विभिन्न योजनाओं में कोई पुनरावृत्ति न हो।
- किन्नरों के सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति का आंकलन एवं उनके पिछडेपन को दूर करने हेतु समेकित योजनाओं का निर्माण एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करना तथा इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार से पर्याप्त निधि उपलब्ध कराना।
- किन्नरों के आर्थिक विकास एवं वित्तीय समावेशन हेतु योजनाओं का निर्माण एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
- राज्य के सभी किन्नरों को पहचान पत्र की उपलबधता सुनिश्चित करना।
- किन्नरों को राजनीतिक भागीदारी, विधि एवं नागरिकता के अधिकारों की मान्यता दिलाने हेतु सुझाव देना।
- विभिन्न आयवर्द्धक कार्यक्रमों को वित्तीय स्वीकृति प्रदान करना।
- सामाजिक जागरूकता के माध्यम से किन्नरों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने का पहल करना।

- **प्रदर्शनी, सेमिनार तथा सम्मेलन :-** समाज कल्याण निदेशालय द्वारा महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों हेतु चलायी जा रही योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए सेमिनार, सम्मेलन एवं प्रदर्शनी के आयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल रू0 15.00 लाख का योजना उद्व्यय/बजट उपबंध उपलब्ध है।

  वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल रू0 15.00 लाख का योजना उद्व्यय प्राप्त है।

- **क्षेत्रीय पदाधिकारियों का प्रशिक्षण :-** विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण तथा राज्य से बाहर प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु राज्य योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल रूपये 10.00 लाख (दस लाख) का योजना उद्व्यय/बजट उपबंध के विरूद्ध 4.59 लाख रू0 का व्यय किया गया है।

  वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल रू0 10.00 लाख का योजना उद्व्यय प्राप्त है।

- **निदेशन एवं प्रशासन :-** समाज कल्याण विभाग का गठन एक स्वतंत्र विभाग के रूप में मंत्रिमंडल सचिवालय के संकल्प सं0-602 दिनांक-20.03.2007 के द्वारा किया गया है। इस पुर्नगठन के क्रम में समाज कल्याण निदेशालय इस विभाग के अधीन कार्यरत है।

  वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल रू0 119.14 लाख का बजट उपबंध है, जिसके विरूद्ध रू0 98.57 लाख का व्यय किया गया है।

  वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल रू0 152.18 लाख का उदव्यय प्राप्त है।

स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पूअर एण्ड सोशल वेलफेयर-सक्षम

स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पूअर एण्ड सोशल वेलफेयर- 'सक्षम' समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत है। सोसाइटी का लक्ष्य महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों, दिव्यांगजनों, अतिनिर्धन वर्गों व भिक्षुकों के अधिकारों तथा उनके हितों की रक्षा करने हेतु नीति-निर्माण के माध्यम से उनका सर्वांगींण विकास तथा सशक्तिकरण करना है।

सोसाईटी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विकास आयुक्त, बिहार सरकार की अध्यक्षता में गठित आम सभा / सामान्य निकाय सक्षम की सर्वोच्च नीति निर्माण इकाई है। विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव/सचिव, सरकारी संगठन एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के अध्यक्ष भी आम सभा/सामान्य निकाय के सदस्य नीति निर्माण में अहम भूमिका निभाते है। प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता में गठित सक्षम की कार्यकारिणी समिति में विभिन्न विभागों/सरकारी संगठनों के सदस्य है, जो कि सक्षम के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अहम भूमिका निभाते हैं।

- **मुख्यमंत्री भिक्षावृति निवारण योजना :-**

मुख्यमंत्री भिक्षावृति निवारण योजना बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य को भिक्षावृति के अभिशाप से मुक्त करना है। भिक्षुकों के कल्याण के उद्देश्य से राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना बनाई गयी है, जिसके तहत भिक्षुकों की पहचान कर उनको पहचान-पत्र वितरित करते हुए सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ाव स्थापित करना, कौशल प्रशिक्षण के द्वारा रोजगार से जुड़ाव स्थापित करना, वृद्ध, पूर्णतः दिव्यांग एवं लावारिस अवस्था में पाए जाने वाले भिक्षुकों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना एवं नशा विमुक्तिकरण के द्वारा उनका पुनर्वास सुनिश्चित कराना है।

योजना की प्रमुख उपलब्धियां :-

भिक्षुकों का सर्वेक्षण एवं पहचान पत्र वितरण :- राज्य के 12 जिलों यथा पटना, गया, नालन्दा रोहतास, मुजफफरपुर, दरभंगा, भागलपुर, कटिहार, सारण, अररिया, वैशाली एवं पूर्णिया मे भिक्षाटन कर जीवनयापन कर रहे 10403 अति निर्धनों को चिन्हित कर सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं यथाः वस्त्र वितरण, पहचान पत्र, आवासीय प्रमाणीकरण, यूआईडी, आधार, बैंक खाता, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दिव्यांगता प्रमाणीकरण जैसे सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों से जोड़ा गया है।

स्वास्थ्य जाँच एवं विकलांगता प्रमाणीकरण शिविर का आयोजन :– राज्य के 07 जिलों में स्वास्थ्य जॉच एवं दिव्यांगता प्रमाणीकरण शिविर का आयोजन कर लाभार्थी को जांचोपरांत आवश्यक दवाईयां उपलब्ध कराने की प्रक्रिया की जा रही है।

सेवा कुटीर (पुरुष पुनर्वास गृह) एवं शांति कुटीर (महिला पुनर्वास गृह) की स्थापना :- वर्तमान में राज्य के चार जिलों में कुल 05 भिक्षुक पुनर्वास गृह संचालित हैं जिनमें पटना, मुजफ्फरपुर नालंदा एवं पूर्णिया में संचालित 04 शान्ति कुटीर एवं पटना में संचालित 01 सेवा कुटीर शामिल हैं। पुनर्वास गृहों में महिला एवं पुरूष भिक्षुकों को चिन्हित कर उन्हें निःशुल्क मूलभूत सुविधाएं जैसेः- भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, परामर्श एवं आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, साथ ही परिवार से बिछड़े लाभार्थियों को उनके परिवारों से जोड़ने का कार्य भी किया जाता है। राज्य के 07 जिलें यथा गया, सारण, दरभंगा, भागलपुर, मुंगेर, सहरसा एवं पूर्णिया में 10 भिक्षुक पुनर्वास गृहों की स्थापना एवं संचालन की प्रक्रिया जिला स्तर से की जा रही है।

कम्बल वितरण :- वित्तीय वर्ष 2019-20 में शरद ऋतु में भिक्षुकों को ठंड एवं शीत लहर के प्रकोप से बचाव हेतु राज्य के सभी 38 जिलों में अब तक 7,250 कम्बल वितरित किए गए है।

समुदाय आधारित बचत समूह (सी.बी.एस.जी.) का गठन :- भिक्षुकों में बचत की आदत का विकास करने एवं उनका सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण करने के उद्देश्य से समुदाय आधारित बचत समूहों का गठन एवं संचालन किया जा रहा है। इन समूहों की वर्तमान स्थिति निम्नवत् हैः-

जिला	**संचालित समूहों की संख्य**
पटना	09
गया	05
दरभंगा	04
पूर्णिया	04
कुल समूह	**22**

इन 22 समूहों के अंतर्गत कुल 276 भिक्षुकों को संगठित किया गया है जिनके द्वारा कुल रु 2,01,987/- (दो लाख एक हजार नौ सौ सतासी) मात्र की बचत राशि जमा की गई है।

उत्पादक समूह :-

मुख्यमंत्री भिक्षावृति निवारण योजना अन्तर्गत संचालित मुक्ता सक्षम उत्पादक समूह का निरीक्षण करते अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग

योजना के तहत चिन्हित 44 भिक्षुकों को प्रशिक्षित कर मुक्ता सक्षम उत्पादक समूह नामक एक उद्यमी समूह का गठन किया गया है। उक्त समूह द्वारा जूट के बैग, फाईल फोल्डर एवं बाजार के माँग के अनुसार अन्य विभिन्न प्रकार की सामग्रियां तैयार कर विभिन्न सरकारी कार्यालयों एवं बाजार में बिक्री की जा रही है।

योजना का प्रचार-प्रसार :- सार्वजनिक स्थानों पर प्रत्यक्ष भिक्षावृत्ति पर अंकुश लगाने तथा आमजनों को भिक्षुकों की अप्रत्यक्ष सहायता करने उदेश्य से भिक्षुक सहायता कोष का गठन किया गया है। भिक्षुक सहायता कोष के नाम से स्टेट बैक ऑफ इंडिया, सचिवालय शाखा, पटना में बचत खाता खोला गया है। भिक्षुकों को सीधे दान न देकर इस कोष में दान देने हेतु आमजनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। भिक्षावृत्ति वाले प्रमुख स्थलों पर समय-समय पर नुक्कड़ नाटक, परामर्शन, पर्चा-बैनर आदि के माध्यम से जागरूकता निर्माण किया जाता है।

वितीय वर्ष 2019-20 में इस योजना के अन्तर्गत कुल 1000.00 लाख रू0 के बजट/वितीय उपबंध के विरूद्ध अबतक राशि 330.00 लाख रूपये का व्यय किया गया है।

वितीय वर्ष 2020-21 में इस योजना के अन्तर्गत कुल 1000.00 लाख रू0 का योजना उदव्यय प्राप्त है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु इस योजना के तहत निम्नलिखित कार्ययोजना प्रस्तावित है:-

सभी 38 जिलों में स्वास्थ्य जॉच-सह-दिव्यांगता प्रमाणीकरण शिविर का आयोजन, सामाजिक स्थलों जहॉ भिक्षुक दान प्राप्त करने के उदेश्य से एकजुट होते है, पर सहायता केन्द्र, रेफरल केन्द्र (कैनोपी) की स्थापना एवं कार्यान्वयन, सभी जिलों में भिक्षुकों के स्वयं सहायता समूहों का गठन एवं संचालन, राज्य के अन्य जिलों में मुक्ता उत्पादक समूह जैसे समतुल्य उत्पादक समूहों का गठन, सुरक्षा योजनाओं से भिक्षुकों का जुड़ाव, बचत खाता, आवासीय/मतदाता पहचान पत्र एवं आधार आदि दस्तावेज मुहैया करवाना, आमजनों में भिक्षुकों को सीधे दान न देकर भिक्षुक सहायता कोष में दान देने हेतु प्रोत्साहित करना, जिला/प्रमंडलीय स्तर पर भिक्षुक पुनर्वास गृहों की स्थापना एवं संचालन करने की योजना है। आम लोगों को भिक्षावृति मुक्त करने के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बनाने के लिए होर्डिंग, शॉट फिल्म, टीवी विज्ञापन, समाचार पत्र में विज्ञापन, नुक्कड नाटक के माध्यम से प्रचार प्रसार करने की योजना है।

• **बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना (बीआईएसपीएस) :-** विश्व बैंक सम्पोषित इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों, वृद्धजनों एवं विधवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं देखभाल सम्बन्धित सेवाओं की स्थापना तथा विस्तारीकरण एवं सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों एवं सेवाओं के संवितरण के सुदृढ़ीकरण हेतु विभागीय क्षमतावर्धन किया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में रू0 8000.00 लाख का बजट उपबंध स्वीकृत है, जिसमें रू0 3750.00 लाख व्यय किया गया है।

वितीय वर्ष 2020-21 से इस योजना का कार्यान्वयन हेतु रू0 5000.00 लाख का उदव्यय प्राप्त है।

परियोजना की प्रमुख गतिविधियाँ :-

बुनियाद केन्द्रों का तत्काल संचालन :- राज्य के समस्त 38 जिलों में नवनिर्मित भवनों/ जीर्णोद्धारित सरकारी भवनों / किराए के भवनों में बुनियाद केन्द्रों का तत्काल संचालन किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सीवान एवं जहानाबाद जिलों में जीर्णोद्धारित सरकारी भवन में तथा मधुबनी, गया, पटना एवं पश्चिम चंपारण जिलों में किराए के भवन व शेष 30 जिलों में नवनिर्मित भवनों में तात्कालिक रूप से बुनियाद केन्द्र का संचालन किया जा रहा है। इन केन्द्रों में आवश्यक फर्नीचर एवं आवश्यक उपकरण की आपूर्ति की जा चुकी है। भवनों के प्रकार के अनुसार बुनियाद केन्द्रों की अद्यतन स्थिति निम्नवत् हैः

वर्तमान में संचालित बुनियाद केन्द्र		
नवनिर्मित भवनों में संचालित	जीर्णोद्धारित सरकारी भवनों में संचालित	किराए के भवनों में संचालित
30	04	04

बुनियाद केन्द्र भवनों का निर्माण :- राज्य में कुल 101 बुनियाद केन्द्र के भवनों का निर्माण किया जाना है, जिनमें से 38 जिला-स्तरीय तथा 63 अनुमंडल-स्तरीय केन्द्र होंगे। बुनियाद केन्द्र भवनों के निर्माण की वर्तमान स्थिति निम्नवत हैः

भवनों की स्थिति	**संख्या**
तैयार भवन	88
निर्माणाधीन भवन (अंतिम चरण)	05
प्रकियाधीन नवीन निविदाएं	04
प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रस्ताव	02
अनुपलब्ध भूमि	02
कुल	**101**

एक नवनिर्मित बुनियाद केन्द्र

सभी नवनिर्मित भवनों में फर्नीचर की आपूर्ति एवं फर्निशिंग के कार्य हेतु प्रकिया की जा रही है। 101 बुनियाद केन्द्रों के निर्माण में 220.68 करोड़ रूपये व्यय होना संभावित है। बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा केन्द्र निर्माण का कार्य किया जा रहा है। अब तक बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड नेराशि 178.00 करोड़ की निकासी की है तथा कुलराशि 173.16 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है।

बुनियाद केन्द्र हेतु उपकरण:- जिला स्तरीय संचालित 38 बुनियाद केन्द्रों में फिजियोथैरेपी उपकरण, एक्सरसाईज उपकरण एवं ऑडियोलॉजिकल उपकरणों सहित अन्य आवश्यक उपकरण की आपूर्ति का कार्य संपन्न किया जा चुका है। अनुमंडल स्तरीय 63 बुनियाद केन्द्रों में आवश्यक फर्नीचर एवं उपकरणों की आपूर्ति की प्रक्रिया की जा रही है।

बुनियाद केन्द्र हेतु मानव संसाधन:- जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई में जिला प्रबंधक, लेखापाल एवं प्रोग्राम ऑफिसर (कोआर्डिनेशन एंड सुपरविजन) कार्यरत है। सभी बुनियाद केन्द्रों पर सामाजिक देखभाल सुविधाएँ हेतु तकनीकी कर्मियों यथा केस मैनेजर, वरीय फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑडियोलोजिस्ट-सह-स्पीच एण्ड लैग्वैज थेरेपीस्ट, काउंसेलर/क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट, मोबीलिटी इन्सट्रक्टर, तकनीशियन-स्पीच एंड हियरिंग, तकनीशियन-प्रोस्थेटिक एंड ओर्थोटिक, तकनीशियन- ओप्थाल्मोलोजी, केयर गिभर, हेल्पर-सह- रसोईया, ड्राईवर, पारामेडिक को पदस्थापित किया गया है, जिसमें कुल 376 तकनीकी कर्मी कार्यरत है । शेष 63 अनुमंडल स्तरीय बुनियाद केन्द्रों के संचालन हेतु कुल 917 तकनीकी कर्मियों (15 विभिन्न पदों हेतु) की नियुक्ति अंतिम चरण में है ।

बुनियाद संजीवनी सेवा' (मोबाईल थैरेपी वैन): राज्य के सभी 38 जिलों में बुनियाद संजीवनी सेवा' (मोबाईल थैरेपी वैन) का संचालन किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय कर कुल **39229** दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाणीकरण किया गया है। बुनियाद संजीवनी सेवा' के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तथा बुनियाद केन्द्रों में दी जाने वाली सेवाओं का प्रचार-प्रसार किया जाता है।

बुनियाद संजीवनी सेवा के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्र के लाभुकों की सेवा

'बुनियाद संजीवनी सेवा' की रिपोर्टिंग MIS के माध्यम से किया जा रहा है तथा मोबाइल एप के माध्यम से वाहन की गतिशीलता का भी अनुश्रवण किया जा रहा है ।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन हेतु एम.आई.एस:- सामाजिक पेंशन योजनाओं हेतु निर्मित SSPMIS नामक एम.आई.एस पूरे राज्य में क्रियाशील है। इस प्रणाली को सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से डेटा सेंटर एवं हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। पेंशन संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु निःशुल्क हेल्पलाइन 1800–345–62–62 की स्थापना भी की

गई है। SSPMIS के सफल कार्यान्वयन हेतु जिला स्तर पर एक-एक टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के कार्यालय में कार्यरत है। बुनियाद केंद्र के अंतर्गत लाभुकों को दिये जाने वाले सेवा के अनुश्रवण हेतु बुनियाद एम.आई.एस. के माध्यम से प्रतिवेदन लिया जा रहा है। जिला स्तर पर पदस्थापित सक्षम के पदाधिकारियों/ कर्मियों का अनुपस्थिति, अवकाश आदि के अनुश्रवन एवं कार्यान्वयन भी एम.आई.एस. के माध्यम से किया जा रहा है ।

डी0बी0टी0 कोषांग :- सामाजिक सुरक्षा पेंशन को सरल व सुगम एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से सभी पेंशनधारियों को डी0बी0टी0 (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाता में राशि का भुगतान किया जा रहा है। लाभार्थियों को डी0बी0टी के माध्यम से भुगतान करने से पेंशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता, लाभार्थियों का सत्यापन, ससमय पेंशन का वितरण/भुगतान, राशि की वास्तविक समय पर ट्रैंकिंग और मॉनिटरिंग तथा स्थान/परियोजना/समय अवधि के आधार पर उपयोगिता प्रमाणपत्र का निर्माण किया जा रहा है। इसका क्रियान्वयन 'सक्षम' के राज्य कार्यक्रम प्रबंधक इकाई कार्यालय से किया जा रहा है।

लाभार्थियों की सेवा :- वर्तमान में संचालित 38 जिला स्तरीय बुनियाद केन्द्रों के माध्यम से दिव्यांगजनों, वृद्धजनों एवं विधवाओं को विभिन्न सेवा पैकेजों के तहत सेवाएं दी जा रही हैं। इन केन्द्रों एवं बुनियाद संजीवनी सेवा के माध्यम से अबतक कुल **1,70,714** लाभार्थियों को सेवाएं दी जा चुकी हैं।

प्रचार-प्रसार :- बुनियाद केन्द्र पर मिलने वाली सेवाओं का अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने हेतु व्यापक स्तर पर चयनित एजेंसी द्वारा निर्मित टी वी स्पॉट को सूचना एवं जन संपर्क विभाग के द्वारा राज्य स्तर के सभी टीवी चैनलों के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया गया है। साथ ही प्रिंट मीडिया यथा दैनिक समाचार पत्रों में बुनियाद केन्द्र एवं बुनियाद संजीवनी सेवा की सेवाओं को विज्ञापन के माध्यम से भी प्रचार प्रसार का कार्य किया गया है । राज्य, जिला एवं प्रखंड स्तर पर सूचना एवं जन संपर्क विभाग के साइटों पर बुनियाद केन्द्रों तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की होर्डिंग अधिष्ठापित की जा चुकी हैं। बुनियाद केन्द्रों के धरातल स्तरीय प्रचार-प्रचार हेतु राज्य के कई जिलों में नुक्कड़ नाटक आयोजित किए गये है। आगामी वर्ष में संचालित होने वाले सभी 101 बुनियाद केन्द्रों पर होर्डिंग, ग्लो साइन बोर्ड, स्टैंडी स्थापित करने तथा शॉट फिल्म, टीवी विज्ञापन, समाचार पत्र में विज्ञापन, नुक्कड नाटक के माध्यम से प्रचार प्रसार करने की योजना है।

क्षमतावर्धन :- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं अन्तर्गत हितभागियों की क्षमतावर्धन हेतु आंकलन किया गया है। इसके अतिरिक्त व्यापक स्तर पर क्षमतावर्धन हेतु एजेंसी चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- परियोजना की अनुश्रवण एवं मूल्यांकन रणनीति एवं वेब आधारित एप्लिकेशन तैयार किए गए हैं जिनके आधार पर क्षेत्रगत अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सुनिश्चित किया जा रहा है। 'बुनियाद संजीवनी सेवा' के अनुश्रवण के लिए मोबाइल एप तैयार किया गया है जिसके माध्यम से वाहन की गतिशीलता का भी अनुश्रवण किया जा रहा है ।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस परियोजना हेतु निम्नलिखित कार्ययोजना है :-

राज्य में सभी 101 बुनियाद केन्द्रों की स्थापना, आवश्यक फर्नीचर एवं उपकरण की आपूर्ति, मानव संसाधन की नियुक्ति व गुणवत्तापूर्ण संचालन करने की योजना है। साथ ही विभिन्न माध्यमों से समस्त राज्य में परियोजना का प्रचार-प्रसार, विभिन्न स्तरों पर पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की क्षमतावृद्धि, बुनियाद संजीवनी सेवा के माध्यम से दूर-दराज क्षेत्रों में लाभार्थियों को सेवाएं तथा दिव्यांगता प्रमाणीकरण में सहयोग, दिव्यांग एवं बुजुर्ग लाभुकों के बीच सहाय्य उपकरणों का वितरण तथा समुदाय आधारित पुनर्वास के तहत नवाचारी प्रयोग करने की योजना है।

वर्ष 2019-20 में सक्षम के मुख्य कार्यक्रम

- **बुनियाद केन्द्र का उदघाटन**

दिव्यांगजनों, विधवाओं एवं वृद्धजनों की निःशुल्क सामाजिक सुरक्षा एवं देखभाल को समर्पित अनुमंडल स्तरीय बुनियाद केन्द्र का श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के कर कमलों द्वारा दिनांक 04 दिसंबर 2019 को उदघाटन किया गया। उदघाटन उपरांत माननीय मुख्यमंत्री ने बुनियाद केन्द्र पर मिलने वाली सेवाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान माननीय मुख्यमंत्री के साथ श्री राज कुमार, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सक्षम के साथ ही जिला पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण एवं जिला स्तर के कई वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.

अनुमंडल स्तरीय नवनिर्मित बुनियाद केन्द्र का उद्घाटन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री, बिहार

राज्य में 101 बुनियाद केन्द्र का निर्माण किया जाना है। दिनांक 06 मार्च 2019 को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 67 बुनियाद केन्द्र का लोकार्पण किया जा चुका है। सात विभागों की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के उद्घाटन / शुभारंभ / लोकार्पण के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में बुनियाद केन्द्रों के बारे में जानकारी देते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था बुनियाद केन्द्र दिव्यांगजनों, विधवाओं एवं वृद्धजनो की सुधि लेने का एक सुव्यवस्थित प्रयास है। बुनियाद केन्द्र में लाभुकों को निःशुल्क सामाजिक सुरक्षा एवं देखभाल संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए मानव संसाधन एवं भौतिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि यह एक विशिष्ट केन्द्र है जिसमें सामाजिक देखभाल से संबंधित सभी आवश्यकताएं उपलब्ध हैं।

67 बुनियाद केन्द्र भवनों का लोकार्पण करते माननीय मुख्यमंत्री, बिहार

दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना अधीन संचालित योजना

- **मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना (सम्बल):-** इस योजना का मुख्य उदेश्य राज्य सरकार द्वारा संचालित दिव्यांगता प्रक्षेत्र की सभी योजनाओं के माध्यम से दिव्यांगजनों के कल्याणार्थ कार्य तथा समाज में उनके प्रति जागरूकता बढ़ाना, उन्हें भौतिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त करते हुए उनके अधिकार सुनिश्चित करना है ।

  योजना के अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना "सम्बल" के तहत दिव्यांगजनों के हितार्थ निम्न घटकवार योजना के माध्यम से लाभ/सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

- **दिव्यांगजनों हेतु कृत्रिम अंग एवं उपकरण :-** दिव्यांगजनों को नियमानुसार तिपहिया साईकिल, ट्राई साईकिल, श्रवण यंत्र, वैशाखी कैलीपर, छड़ी आदि उपकरण एवं कृत्रिम अंग प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में राज्य के कुल 5,595 लाभार्थियों का कृत्रिम अंग एवं उपकरण का वितरण किया गया।

दिव्यांगजनो को सम्मानित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री, बिहार

- **दिव्यांगजनों का सर्वेक्षण एवं प्रमाणीकरण:** दिव्यांगजनों का सर्वेक्षण एवं दिव्यांगता प्रमाणीकरण हेतु पंचायत एवं प्रखण्ड स्तर पर विशेष शिविर का आयोजन कर समय-समय पर किया जाता है । उक्त शिविर में चिकित्सक दल द्वारा जॉचोपरान्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। बुनियाद केन्द्र के माध्यम से भी दिव्यांगता प्रमाणीकरण का कार्य किया जा रहा है। राज्य के लगभग 14.69 लाख लाभार्थियों को दिव्यांगता प्रमाणीकरण किया गया है ।

- **दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्कीमसिपडा योजना :-** दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत दिव्यांगजनों के लिए सार्वभौमिक सुगम्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से सुगम्य भारत अभियान संचालित है, जिसमें महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवनों, सार्वजनिक परिवहन एवं सरकार के बेवसाइट को दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य बनाना है।

  दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में सिपडा योजना के तहत कुल 18 लिफ्ट का प्रतिष्ठापन विभिन्न सरकारी भवनों में करने हेतु कुल रू0 534.00 लाख का व्यय किया गया है।

सिपडा योजना के तहत दिव्यांगजनों के सुलभ पहुँच हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एक लिफ्ट तथा अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, गया एवं पी०एम०सी०एच, पटना (RSB भवन तथा गायनी वार्ड) में 2-2 लिफ्ट का अधिष्ठापन किया जा चुका है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में सिपडा योजना के तहत 03 शैक्षणिक संस्थानों में दिव्यांगजनों के सुगम पहुॅच हेतु बाधामुक्त परिसर के निर्माण कार्य हेतु भवन निर्माण विभाग को राशि आवंटित की गयी है, जिसमें से 02 भवन-राजकीय पोलिटेकनिक, गुलजारबाग, पटना तथा नवीन राजकीय पोलिटेकनिक, पटना को सुगम्य बनाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष 01 भवन-राजकीय महिला पोलिटेकनिक, पटना को सुगम्य बनाने का कार्य प्रगति पर है ।

माह नवम्बर, 2019 में राज्य के मूक-बधिर विद्यालयों में कार्यरत 08 शिक्षकों (संविदा / नियमित) को पन्द्रह दिवसीय Sign Language (Short Term) का प्रशिक्षण भारतीय सांकेतिक भाषा एवं अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली से कराया गया है।

सुगम्य भारत अभियान अन्तर्गत भोजपुर, गया सारण (छपरा), मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), समस्तीपुर, सुपौल, पूर्णियाॅ, भागलपुर एवं बेगूसराय जिलों में सरकारी भवनों को दिव्यांगजन के लिए सुगम्य बनाने हेतु चिन्हित किया गया है तथा 50 प्रतिशत सरकारी भवनों की सूची की मांग की गयी है।

महत्वपूर्ण तथ्य

1. राज्य के वैसे सभी वृद्धजन, जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो तथा उन्हें केन्द्र अथवा राज्य सरकार से कोई पेंशन, पारिवारिक पेंशन या सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त नहीं हो रहा है, को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना आरंभ की गयी है।
2. विभाग अन्तर्गत विभिन्न वर्ग समूहों यथा- शिशु, बालक, बालिका के सुरक्षित आवासन एवं पुनर्वास हेतु राज्य के 12 जिलों (प्रत्येक प्रमंडलों में कम-से-कम एक) मुख्यमंत्री बाल आश्रय विकास योजना के तहत भवनों के निर्माण एवं संचालन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
3. महिला भ्रूण हत्या रोकने, कन्या के जन्म को प्रोत्साहित करने, बालिका शिशु मृत्यु दर को कम करने हेतु बिहार सरकार के अलग-अलग विभागों द्वारा संचालित योजनाओं को समेकित कर कन्याओं के समग्र विकास हेतु 'मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना' संचालित है।
4. ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य के पांच चिन्हित पिछडें जिलों यथा- औरंगाबाद, नवादा, मुजफ्फरपुर, कटिहार एवं जमुई जिलों में महिला शक्ति केन्द्र के संचालन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
5. मादक द्रव्यों के रोकथाम एवं नशा विमुक्ति हेतु राष्ट्रीय नीति योजना के तहत नशा निवारण, शिक्षा तथा जागरूकता अभियान, संसाधन सृजन, ईलाज एवं गुणवत्ता, मानकीकरण, वंचित समूह को कौशल विकास आदि कार्यक्रम की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
6. राज्य के सभी जिलों के किशोर न्याय परिषद में विडियों कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम तथा सभी 86 बाल देख-रेख संस्थानों में ऑन लाईन मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। POCSO Act में सन्निहित प्रावधान के आलोक में राज्य के सभी 38 जिला के जिला एवं सत्र न्यायालय/व्यवहार न्यायालय में एक सुगम परिसर के अन्तर्गत बाल मित्र न्यायालय (Child Friendly Court) बनाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है
7. दिव्यांजनों के सहायतार्थ 20 दिव्यांगजन अनुकूल बस का क्रय तथा राज्य के 17 बस स्टैंड को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
8. राष्ट्रीय पोषण माह सितम्बर, 2019 में समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सूचना एवं जनसम्पर्क एवं लोक स्वास्थ अभियत्रंण विभाग के सहयोग से सफलतापूर्वक संचालित किया, जिसमें 6083519 गतिविधियों का आयोजन हुआ एवं लगभग 607080324 प्रतिभागी सम्मलित हुए। पोषण माह के दौरान पोषण मेला, पोषण सेमिनार, समुदायिक गतिविधियाँ यथा अन्नप्रासन, गोद-भाराई, सुपोषण दिवस, वचपन दिवस, अनीमिया नियंत्रण पर विशेष जोर दिया गया है। राष्ट्रीय पोषण माह को डैश-वोर्ड प्रतिवेदन के आधार पर बिहार पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा है।

अनुमंडल स्तरीय 'बुनियाद केन्द्र' का भ्रमण करते हुए माननीय मुख्यमंत्री, बिहार

जल जीवन हरियाली, नशा मुक्ति के पक्ष में एवं दहेज प्रथा तथा बाल विवाह के विरुद्ध राज्य स्तरीय मानव श्रृंखला में भाग लेते हुए समाज कल्याण विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मचारी गण।

जल जीवन हरियाली यात्रा के दौरान मॉडल आंगनवाड़ी केन्द्र, जिला गोपालगंज का भ्रमण करते माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग।

श्री राम सेवक सिंह, माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग द्वारा बाल गृह, किशनगंज का निरीक्षण

Printed by : ***K.P. Enterprises,*** Patna, Mob. : 9431457358, 9334432998

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

समाज कल्याण विभाग

ब्लॉक-4, पुराना सचिवालय परिसर बिहार, पटना - 800 015